



सम्राट् विक्रमादित्य विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2026/ 1218

दिनांक :- 30-4-2026

प्रेषक,

कुलसचिव
सम्राट् विक्रमादित्य विश्वविद्यालय,
उज्जैन।

प्रति,

विभागाध्यक्ष,
समस्त अध्ययनशालाएं
सम्राट् विक्रमादित्य विश्वविद्यालय, उज्जैन।

प्रति,

समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
सम्राट् विक्रमादित्य विश्वविद्यालय, परिक्षेत्र,
उज्जैन।

विषय :- शिक्षा सत्र 2026-27 के लिए म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा, भोपाल द्वारा प्रसारित प्रवेश नियम, मार्गदर्शी सिद्धांत ऑनलाइन प्रवेश समय-सारणी।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय में निवेदन है कि, म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल द्वारा सत्र 2026-27 के शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक, स्नातकोत्तर कक्षाओं तथा NCTE के पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश नियम, मार्गदर्शी सिद्धांत, ऑनलाइन प्रवेश समय-सारणी वेबसाईट पर प्रसारित कर दिये गये हैं। उक्त प्रवेश नियम, मार्गदर्शी सिद्धांत, ऑनलाइन प्रवेश समय-सारणी उच्च शिक्षा विभाग एवं सम्राट् विक्रमादित्य विश्वविद्यालय की वेबसाईट (www.vikramuniv.ac.in) से डाउनलोड किये जा सकते हैं।

कृपया आप अपने महाविद्यालय/अध्ययनशाला में विद्यार्थियों को प्रवेश देते समय प्रवेश नियम, मार्गदर्शी सिद्धांत तथा प्रवेश समय-सारणी का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्न :- यथोपरि।

आदेशानुसार

डॉ. अनिल कुमार शर्मा
कुलसचिव

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2026/ 1219

दिनांक :- 30-4-2026

प्रतिलिपि :-

समस्त अधिकारीगण, सम्राट् विक्रमादित्य विश्वविद्यालय, उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

श्री चैनराम पंवार

सहायक कुलसचिव (अकादमिक)

1950
1951
1952

1953

1954

1955
1956
1957
1958
1959
1960

1961

1962
1963
1964


1965

1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050

2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060

2061
2062


OK



उच्च शिक्षा विभाग ऑनलाइन प्रवेश


सत्र 2026-27

प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त पुस्तिका सत्र 2026-27



सिर्फ कुछ क्लिक में टॉप UG / PG / NCTE प्रोग्राम्स में जुड़ें

- 1 अपना फोन उठाइए
- 2 रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिए
- 3 भुगतान कीजिए



Scan for App

<https://epravesh.highereducation.mp.gov.in>



Scan for Web

महायता केन्द्र नंबर Helpline Number : 80000 83632

टोल फ्री नंबर Toll-Free Number : 1800 5908 399

हेल्पडेस्क Helpdesk : helpdesk@epravesh.mp.gov.in

विचार, कर्म एवं व्यवहार की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति ही शिक्षा है।



उच्च शिक्षा विभाग

ऑनलाइन प्रवेश

सत्र 2026-27

मध्यप्रदेश के शासकीय / अनुदान प्राप्त अशासकीय / अशासकीय महाविद्यालय की स्नातक
प्रथम वर्ष / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष / सेमेस्टर में प्रवेश हेतु इच्छुक आवेदकों के लिए

प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त पुस्तिका
सत्र 2026-27

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, मत्तपुड़ा भवन, पौचवी मंत्रालय, भोपाल 462004

E-mail:-mphe.pravesh@mp.gov.in एवं तकनीकी समस्या हेतु

सहायता केन्द्र नंबर | Helpline Number : - 80000 63632

टोल फ्री नंबर | Toll-Free Number: -1800 8908 399

हेल्पडेस्क -<https://helpdesk.epravesh.mp.gov.in>

विचार, कर्म एवं व्यवहार की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति ही शिक्षा है।

den

प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत
उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.
सत्र 2026-27

अनुक्रमणिका

क्र.	विषय	उप विषय	पृ.क्र.
1.	प्रयुक्ति		04
2.	पोर्टल की जानकारी		04
3.	पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर महाविद्यालयों का नाम जोड़ने की कार्यवाही		04-05
4.	आयु संबंधी प्रावधान		05
5.	आगतक प्रथम वर्ष / आगतकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश हेतु पात्रता:-		05-12
6.	प्रवेश प्रक्रिया		13-21
	6.1	ऑनलाइन पंजीयन	13-14
	6.2	पंजीयन हेतु पूरक प्राप्त विद्यार्थियों संबंधी निर्देश	14-15
	6.3	महाविद्यालय / पाठ्यक्रम चयन प्रक्रिया	15
	6.4	पंजीयन हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया	15-16
	6.5	पंजीकृत आवेदकों के दस्तावेजों के सत्यापन की ऑनलाइन प्रक्रिया	16-18
	6.6	प्रवेश आवंटन हेतु गुणानुक्रम एवं प्राथमिकता का निर्धारण	18-21
	6.7	महाविद्यालय स्तर पर संचालित सर्टिफिकेट कोर्स चयन प्रक्रिया	21
7.	ऑनलाइन सी.एल.सी. चरण में महाविद्यालयों के रिक्त स्थानों पर प्रवेश हेतु पुनः विकल्प चयन एवं आवंटन प्रक्रिया		21-22
8.	प्रवेश निरस्तीकरण प्रक्रिया एवं शुल्क वापसी प्रक्रिया		22

OK

क्र.	विषय	पृ.क्र.
9.	शासकीय सेवक के स्थानान्तरित होने पर पाल्यों के प्रवेश संबंधी निर्देश	22
10.	पूरक प्राप्त आवेदकों के प्रवेश	23
11.	म.प्र. शासन द्वारा विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु हितग्राही योजनाएं	23-26
12.	वन-स्टेप-अप योजनान्तर्गत प्रवेश (स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों हेतु)	26
13.	संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया	27
14.	स्वविच्छेद पाठ्यक्रमों में प्रवेश संबंधी प्रावधान	27
15.	प्रावधिक प्रवेश हेतु पात्रता	27-28
16.	प्रवेश त्वरीनीकरण प्रक्रिया (शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों हेतु)	28-30
17.	स्नातक कक्षाओं में ए.टी. के. टी/पूरक से संबंधित प्रवेश नियम	30-31
18.	स्नातकोत्तर कक्षाओं में ए.टी. के.टी से संबंधित प्रवेश नियम	31
19.	प्रवेश सीट संख्या का निर्धारण	31-32
20.	समकक्ष बोर्ड संबंधी प्रवेश नियम	32-33
21.	सामान्य पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश की पात्रता	33-34
22.	विशेष प्रकरण संबंधी प्रवेश हेतु पात्रता/अपात्रता	34
23.	बाह्य राज्य के आवेदकों हेतु प्रवेश नियम	34-35
24.	आरक्षण	35-40
25.	अधिभार	40-44
26.	प्रवेश संबंधी विशेष प्रावधान	44-47
27.	विभिन्न प्रमाण पत्रों के प्रारूप	48-56
28.	सहायता केन्द्रों की सूची	57
29.	प्रवेश समय सारणी	58-68

प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत

1. मार्गदर्शी सिद्धांत मध्य प्रदेश के सभी शान्तीय और प्रशासकीय (अनुदान प्राप्त एवं अनुदान अप्राप्त) महाविद्यालयों में मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत अध्यादेश क्रमांक-6 एवं 7 के प्रावधानों के तहत मंजूरी प्राप्त करने हेतु नाम श्रेणी तथा संख्या प्राचार्य/उत्का पाठन मूर्तिश्रित करने/नित पाठ्यक्रमों के प्रकाशित / नियम / विनियम में प्रवेश पाठन हेतु आवश्यकता उत्पन्न हो, उदाहरणार्थ न.मो.आ. / NCTE वर्ग के नियम विश्वविद्यालय / सम्बद्ध महाविद्यालयों के सुसंगत पाठ्यक्रमों में काम नहीं आये।
 - 1.1 सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश उपरोक्त शर्तों पर प्रवेश उत्सव आयोजित किये जायेंगे, जिसमें प्रथम वर्ष के प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु मार्गदर्शी व्याख्यान दिये जाने की व्यवस्था की जाये।
2. पोर्टल की जानकारी :-
 - 2.1 एप्रवेश हेतु प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी विभागीय पोर्टल eprवेश.higher-education.mp.gov.in पर प्रवेश मोबाइल एप एवं विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी।
3. पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर महाविद्यालयों का नाम जोड़ने की कार्यवाही -
 - I एप्रवेश महाविद्यालय की ऑनलाइन प्रोफाइल का निर्माण / अद्यतन करना होगा।
 - II प्रोफाइल का निर्माण / अद्यतन करने का कार्य प्रवेश प्रक्रिया आरंभ होने के पूर्व किया जाएगा।
 - III प्रोफाइल अद्यतन करने समय शासन द्वारा वर्तमान सब के लिए जारी अद्यतन अनुरोध प्रमाण पत्र / निर्णयनामा प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।
 - IV महाविद्यालय द्वारा वर्तमान सब के लिए जारी अद्यतन संशुद्धता प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।
 - V विश्वि पाठ्यक्रम हेतु BCI की तथा NCTE पाठ्यक्रम हेतु NCTE की मान्यता (recognition) एवं निर्धारित सीट संख्या का पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।
 - VI NCTE पाठ्यक्रमों एवं शैक्षणिक पाठ्यक्रमों को प्रवेशित वर्ष का शुल्क, विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क का सत्यापन अपलोड करना अनिवार्य होगा।
 - VII महाविद्यालय बैंक खाता प्रमाण की प्रविष्टि सावधानी पूर्वक दर्ज करना सुनिश्चित करने इसके साथ ही बैंक खाते का नाम बैंक पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करना इसी बैंक खाते में महाविद्यालयों को प्रवेशित विद्यार्थियों में संबंधित प्रवेश शुल्क की राशि अन्तर्गत की जाएगी।
 - VIII महाविद्यालय को प्रोफाइल अद्यतन करने समय संचालक एवं नियंत्रण सीटों का निर्धारण करना अनिवार्य होगा।
 - IX प्रशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालय एवं प्रशासकीय महाविद्यालय की प्रोफाइल का सत्यापन किया जायगा संबंधित महाविद्यालय द्वारा पुराने जानकारी एवं प्रमाणों के सम्बद्ध न होने की स्थिति में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से महाविद्यालयों की प्रोफाइल को प्रत्यावर्तित (Revert) किया जाएगा।

प्रत्यावर्तन की गई प्रोफाइल को महाविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में अद्यतन न करने पर प्रवेश प्रक्रिया में वंचित होना होगा। महाविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में अपेक्षित जानकारी अपलोड कर देने की स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी।

- X अनिर्दिष्ट मंत्रालय स्तर में सत्यापन उपर्युक्त पोर्टल पर संबंधित महाविद्यालय को सत्यापन सेवाधिकार के विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा। संबंधित महाविद्यालय द्वारा पर्याप्त जानकारी मय प्रमाणों के सम्बद्ध न होने की स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से महाविद्यालयों की प्रोफाइल को प्रत्यावर्तित (Revert) किया जाएगा। प्रत्यावर्तित की गई प्रोफाइल को महाविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में अद्यतन न करने पर प्रवेश प्रक्रिया में वंचित होना होगा। महाविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में अपेक्षित जानकारी अपलोड कर देने की स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में पुनः सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण करना अनिवार्य होगा। अन्वेषा की स्थिति में एक महाविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकेगी जिसकी जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय / विश्वविद्यालय की होगी।
- XI विश्वविद्यालय द्वारा सत्यापन करने के पश्चात आवृत्त उच्च शिक्षा स्तर पर NCTE से सम्बन्धित महाविद्यालयों को ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा। प्रत्यावर्तित की गई प्रोफाइल को महाविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में अद्यतन न करने पर प्रवेश प्रक्रिया में वंचित होना होगा।
- XII मा. मंत्रालय स्तर में प्रवेश के माध्यम से प्राप्त होने वाले विद्यार्थियों के लिए मा. संबंधित विश्वविद्यालय महाविद्यालयों को ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल दर्ज करना अनिवार्य होगा। तदुपरांत शेष कार्यवाही नियमानुसार आवृत्त उच्च शिक्षा एवं विश्वविद्यालय स्तर में ऑनलाइन पूर्ण की जाएगी।

4. आयु संबंधी प्रावधान :- विद्यार्थियों के लिए आयु सीमा पर कोई बंधन नहीं होगा।

5. स्नातक प्रथम वर्ष / स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश हेतु पात्रता :-

5.1 स्नातक स्तर हेतु :- 10+2 परीक्षा एवं समकक्ष उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता निम्नानुसार होगी:

स.क्र.	10+2 अर्हकारी	स्नातक कक्षा में प्रवेश
1	परिष्कार विज्ञान	विज्ञान संकाय के सुसंगत विषय अथवा अन्य संकाय में प्रवेश हेतु संबंधित विषय/संकाय में CUET/विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
2	व्यापार	व्यापार संकाय के सुसंगत विषय अथवा अन्य संकाय में प्रवेश हेतु संबंधित विषय/संकाय में CUET/विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
3	कला	कला संकाय के सुसंगत विषय अथवा अन्य संकाय में प्रवेश हेतु संबंधित विषय/संकाय में CUET/विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
4	कृषि	कृषि, कृषि अथवा जीव विज्ञान समूह के गलत/दृष्ट विषयों जैसे बायोटेक्नोलॉजी, बायोइंजीनियरिंग, सील टेक्नोलॉजी आदि विषय अथवा

5.2 स्नातकोत्तर स्तर (दो वर्षीय /04 सेमेस्टर) हेतु - स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को एम.ए./एम.बी.ए./एम.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार होगी।

स्नातकोत्तर दो वर्षीय / 4 सेमेस्टर		
क्र.सं.	पदवी	प्रवेश परीक्षा
1	एम.बी.ए. प्रथम सेमेस्टर	बी.बी.ए./बी.बी.एम (तीन वर्षीय) में स्नातक की डिग्री (ऑनर्स कोर्स) अथवा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार बी.बी.ए. में स्नातक की डिग्री उत्तीर्ण विद्यार्थी मेजर या माइनर विषय में स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए पात्र है अथवा सम्बन्धित विषय में CUET या विश्वविद्यालय स्तर की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण हो।
2	एम.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर	बी.एस.सी. संबन्धित विषय के माध्य (तीन वर्षीय) में स्नातक की डिग्री (ऑनर्स कोर्स) अथवा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार बी.एस.सी. में स्नातक की डिग्री उत्तीर्ण विद्यार्थी मेजर या माइनर विषय में स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए पात्र है। अथवा सम्बन्धित विषय में CUET विश्वविद्यालय स्तर की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण हो।
3	एम.एस.सी. (मृदाविज्ञान) प्रथम सेमेस्टर	बी.एस.सी. (मृदाविज्ञान) (तीन वर्षीय) में स्नातक की डिग्री (ऑनर्स कोर्स) अथवा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार बी.एस.सी. में मृदाविज्ञान विषय के माध्य स्नातक की डिग्री उत्तीर्ण विद्यार्थी मेजर या माइनर विषय में स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए पात्र है अथवा सम्बन्धित विषय में CUET विश्वविद्यालय स्तर की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण हो।
4	एम.ए. प्रथम सेमेस्टर	स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण (तीन वर्षीय) में स्नातक की डिग्री (ऑनर्स कोर्स) अथवा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार कला में स्नातक की डिग्री उत्तीर्ण विद्यार्थी मेजर या माइनर विषय में स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए पात्र है अथवा सम्बन्धित विषय में CUET या विश्वविद्यालय स्तर की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण हो।
5	एम.एस.डब्ल्यू.	स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण (तीन वर्षीय), पात्रता हेतु न्यूनतम 45 प्रतिशत/समावृत्त ग्रेड आवश्यक अथवा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार कला /BSW में स्नातक की डिग्री उत्तीर्ण विद्यार्थी मेजर या माइनर विषय में स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए पात्र है अथवा सम्बन्धित विषय में CUET विश्वविद्यालय स्तर की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण हो।

स्नातकोत्तर एक वर्षीय / 2 सेमेस्टर		
स.क्र.	कक्षा	अर्हकारी परीक्षा
1	एम.कॉम (स्नातकोत्तर एक वर्षीय)	राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सम्बन्धित विषय में बी.कॉम. ऑनर्स (4 वर्षीय) अथवा बीकॉम ऑनर्स विथ रिमार्क(4 वर्षीय)
2	एम.एम.सी. (स्नातकोत्तर एक वर्षीय)	राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सम्बन्धित विषय में बी.एम.सी. ऑनर्स(4 वर्षीय) अथवा बीएमसी ऑनर्स विथ रिमार्क(4 वर्षीय)
3	एम.एम.सी. (गृहविज्ञान) (स्नातकोत्तर एक वर्षीय)	राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सम्बन्धित विषय में बी.एम.सी. गृहविज्ञान ऑनर्स(4 वर्षीय) अथवा बी.एम.सी. गृहविज्ञान ऑनर्स विथ रिमार्क(4 वर्षीय)।
4	एम.ए. (स्नातकोत्तर एक वर्षीय)	राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सम्बन्धित विषय में बी.ए. ऑनर्स(4 वर्षीय) अथवा बी.ए. ऑनर्स विथ रिमार्क(4 वर्षीय)।

5.2.1 **पात्रता प्रमाण पत्र संबंधी स्वीकृति**- मध्यप्रदेश राज्य के किमी भी शामिल विश्वविद्यालय में स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर स्तर में प्रवेश हेतु पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। मध्यप्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्य के विश्वविद्यालयों से स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार संबंधित विश्वविद्यालय में पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

5.2.2 पी.जी.डी.के.एम. पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय की पात्रता अनुसार ही विद्यार्थी पात्र होंगे।

5.3. एल.एल.बी. त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम हेतु स्नातक में न्यूनतम अंक प्रतिशत -

वर्ग	न्यूनतम अंक प्रतिशत
सामान्य वर्ग	45%
अन्य पिछड़ा वर्ग	42%
अनुसूचित जाति/जनजाति	40%

5.3.1 एल.एल.बी. पंचवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक प्रतिशत : हायर सेकण्डरी एवं मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से पूर्व के हायर सेकण्डरी (ग्यारहवीं) में न्यूनतम अंक प्रतिशत निम्नानुसार होंगे-

वर्ग	न्यूनतम अंक प्रतिशत
सामान्य वर्ग	45%
अन्य पिछड़ा वर्ग	42%
अनुसूचित जाति/जनजाति	40%

on

5.3.2 पचाचार / दूरस्थ पाठ्यक्रम में विधि में प्रवेश :- यदि आवेदक ने पचाचार / दूरस्थ पाठ्यक्रम में 12वीं अथवा स्नातक उत्तीर्ण कर विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश करने हेतु आवेदन किया हो तो वह एन.एल.बी. त्रि-वर्षीय/पंचवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश करने हेतु पात्र होगा।

स्पष्टीकरण आवेदक जिसने 10+2 अथवा स्नातक अथवा स्नातकोत्तर मुक्त विश्वविद्यालय (औरत विश्वविद्यालय) में बिना आधारभूत मूल शिक्षा (बैथिक क्वालिफिकेशन) के प्राप्त किया हो तो वह विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्र नहीं होगा।

5.3.3 एन.एल.एम. में प्रवेश-

(अ) एन.एल.एम. में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा (एन.एल.बी. त्रिवर्षीय / पंचवर्षीय पाठ्यक्रम) में मान्यता प्राप्त एवं अन्य विश्वविद्यालयों हेतु न्यूनतम अंक 55 प्रतिशत होंगे।

(ब) अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों को न्यूनतम अंक 5 प्रतिशत की छूट रहेगी।

विशेष टीप: न्यायपालकीय विभाग अनुसूचित अंक प्राप्त विद्यार्थी भी प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे।

5.4 एन.सी.टी.ई. पाठ्यक्रमों में प्रवेश

5.4.1 अर्हताएं

(क) बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु -

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/उपाधि (विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, मानविकी विषयों में) 50 प्रतिशत अथवा के साथ, उनके अतिरिक्त उद्योगिक वा तकनीकी (विज्ञान एवं गणित विशेषज्ञता) में 55 प्रतिशत अंकों के साथ या अन्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण आवेदक प्रवेश हेतु पात्र होंगे। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए अर्हताकारी अंकों में 05 प्रतिशत की छूट रहेगी। उन्हीं स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्राप्तियों को मान्य किया जाएगा, जिसकी पाठ्यक्रम उपाधि समता न्यूनतम तीन वर्ष एवं दो वर्ष की होगी।

(ख) एम.एड. पाठ्यक्रम हेतु-

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अथवा समकक्ष ग्रेड के साथ बी.एड./बी.एड./बी.एड./बी.एड./उत्तीर्ण आवेदक प्रवेश प्रक्रिया हेतु पात्र होंगे। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए अर्हताकारी अंकों में 05 प्रतिशत की छूट रहेगी।

(ग) बी.पी.एड. पाठ्यक्रम हेतु -

50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी विषय में स्नातक डिग्री और कम से कम ए.आर्.ए./आर्.ए.ए./एम.एड./एम.एड./भारत सरकार द्वारा तथा मान्यता प्राप्त स्कूल में अंतर महाविद्यालय/अंतर क्षेत्रीय / त्रिभा/विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में भागीदारी की हो।

अथवा

45 प्रतिशत अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्री।

अथवा

ch

45 प्रतिशत अंकों के साथ किसी विषय में स्नातक डिग्री तथा एक अनिवार्य विषय/वैकल्पिक विषय के रूप में आरीरिक शिक्षा का अध्ययन किया हो।

अथवा

45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक डिग्री और राष्ट्रीय / अंतर-विश्वविद्यालय/राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लिया हो अथवा ए. आर्ट्स/यू.आई.ओ.ए./एस.पी.एफ.आर्ट्स./भारत सरकार द्वारा यथा मान्यता प्राप्त संस्कृत में अंतर-महाविद्यालय/अंतर-क्षेत्रीय/राज्य/विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान प्राप्त किया हो।

अथवा

अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी के साथ स्नातक डिग्री अथवा संबन्धित मंत्रों / ए.आर्ट्स/आईओए/एस.पी.एफ.आर्ट्स./भारत सरकार द्वारा यथा मान्यता प्राप्त संस्कृत में राष्ट्रीय / अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान प्राप्त किया हो।

अथवा

45 प्रतिशत अंक के साथ स्नातक डिग्री और कम से कम तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव (प्रतिनियुक्त गवर्नाकालीन आवेदकों के लिए अर्थात् प्रशिक्षित आरीरिक शिक्षा शिक्षक/कौच)। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए अर्हताकारी अंकों में 05 प्रतिशत की छूट रहेगी।

प्रवेश परीक्षा अर्हताकारी परीक्षा के प्रभाव में अर्जित बोनस अंक के सम्मिलित बोनस के आधार पर निर्मित समेकित मेरिट सूची एवं आवेदकों द्वारा व्यक्त वसुधैयताओं के अनुसार गुणानुक्रम में बी.पी.एड. पाठ्यक्रम या निष्ठासंग आनन्दारण पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रवेश होगा।

(घ) एम.पी.एड पाठ्यक्रम हेतु -

(i) कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ आरीरिक शिक्षा में स्नातक (बी.पी.एड.) अथवा समकक्ष अथवा कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्वास्थ्य और आरीरिक शिक्षा विज्ञान में स्नातक (बी.एस.एड.)

(ii) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए अर्हताकारी अंकों में 05 प्रतिशत की छूट रहेगी।

प्रवेश प्रक्रिया एम.पी.एड पाठ्यक्रम में आनन्दारण प्रवेश, अर्हताकारी परीक्षा के प्रभाव में अर्जित बोनस अंकों के सम्मिलित बोनस के आधार पर निर्मित समेकित मेरिट सूची एवं आवेदकों द्वारा व्यक्त वसुधैयताओं के अनुसार गुणानुक्रम में आनन्दारण पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रवेश होगा।

(ङ) एम.पी.एड / बी.पी.एड पाठ्यक्रम में मेरिट हेतु बोनस अंक का विभाजन

स.क्र.	अर्हताकारी परीक्षा के प्राप्तियों पर बोनस अंक		
1.	क	60 प्रतिशत एवं उससे अधिक	60
	ख	50 प्रतिशत एवं उससे अधिक तथा 60 प्रतिशत से कम	50
	ग	45 प्रतिशत एवं उससे अधिक तथा 50 प्रतिशत से कम	40
	घ	40 प्रतिशत एवं उससे अधिक तथा 45 प्रतिशत से कम	30

aw

2. स्पोर्ट्स प्रोफिसियन्सी के लिए बोनस अंक		
क.	अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान	40
ख.	अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सहभागिता	35
ग.	राज्यस्तरीय स्तरीय/अंतर्राष्ट्रीय भारतीय अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान	30
घ.	राज्यस्तरीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय/अंतर्राष्ट्रीय भारतीय अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में सहभागिता	25
ङ.	बोनस अंतर विश्वविद्यालय (East/West/North/South Zone) अंतर प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान	20
च.	बोनस अंतर विश्वविद्यालय (East/West/North/South Zone) अंतर प्रतियोगिता में सहभागिता	15
छ.	राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान	20
ज.	राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सहभागिता	15
झ.	अंतरमहाविद्यालयीय/अंतरराज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान	10
ञ.	अंतरमहाविद्यालयीय/अंतरराज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सहभागिता	8
ट.	द्वितीय स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान	05
ड.	द्वितीय स्तरीय प्रतियोगिता में सहभागिता	02

नोट : पिछले 3 वर्षों में प्राप्त प्रमाण-पत्र मान्य होंगे।

नोट : बोनस अंको का अधिभार केवल एक बार ही दिया जावेगा।

- स्पोर्ट्स प्रोफिसियन्सी के लिए बोनस अंक केवल एक ही प्रमाण पत्र के आधार पर दिए जाएंगे, जो विद्यार्थी की सर्वोच्च उपलब्धि को दर्शाता है। यदि किसी विद्यार्थी के पास एक से अधिक प्रमाण पत्र हैं, तो केवल सर्वोच्च स्तर के प्रमाण पत्र को ही अंक प्रदान करने के लिए मान्य माना जाएगा।
- ए.आर.यू./आर.ओ.ए.एन.ओ.ए.ए.आर./भारत सरकार द्वारा तथा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्रों पर ही बोनस अंक प्राप्त किए जा सकेंगे।

(ब) बी.एड. एम.एड. (एकीकृत त्रिवर्षीय) पाठ्यक्रम हेतु-

- (1) प्रवेश हेतु आवेदक को मान्यता प्राप्त संस्था में विज्ञान/सांख्यिक विज्ञान/मानविकी विषयों में कम से कम 55 प्रतिशत अंक अथवा उनके समकक्ष ग्रेड की स्नातकोत्तर डिग्री उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। यह आवश्यक है कि उम्मीदवारों की शिक्षा में स्पष्ट दिखने वाली रुचि और अनुभव हो।
- (2) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए अर्हतादायी अंकों में 05 प्रतिशत की छूट रहेगी।

- (3) इनकी मान्यतायोग्य पाठ्यक्रमों के प्रस्तावों को मान्य किया जायेगा जिनकी पाठ्यक्रम अवधि न्यूनतम दो वर्षों की होगी।

(ख) इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम (ITEP) पाठ्यक्रम हेतु

- (1) सीनियर मैट्रिकरी या एम टू (+2) परीक्षा या इसके समकक्ष (5+3+3+4 पैटर्न के अंतर्गत) किंगो माध्यम प्राप्त करने से न्यूनतम 50% (पचास प्रतिशत) अंक प्राप्त करने वाले सम्बन्धित प्रवेश के लिए पात्र होंगे।
 - (2) सीनियर मैट्रिकरी या एम टू (+2) परीक्षा या इसके समकक्ष (5+3+3+4 पैटर्न के अंतर्गत) अंकों में छूट और सीटों में अंतरिक्ष केंद्र सरकार, राज्य सरकार, या केंद्र-आश्रित प्रदेश के समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार होगा।
 - (3) ITEP- सम्बन्धित में प्रवेश राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित विषय और योग्यता परीक्षा के माध्यम से होगा।
 - (4) NEP 2020 की अनुशंसाओं के तहत ITEP-में प्रवेश के लिए एकल राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा का आयोजन NTA द्वारा किया जाएगा।
- नोट: माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, पी.पी.एच. और पाठ्यक्रमों में एम.टी.सी.ई. द्वारा जारी दिशान्-निर्देशों के अनुसार प्रवेश दिया जायेगा।

(घ) बी.एल.एड. पाठ्यक्रम हेतु

माध्यमिक प्राप्त करने वाले छात्रों/संवेगकृत परीक्षा अथवा इसके समकक्ष स्वीकार की जाने वाली कोई अन्य परीक्षा में कुल गिनताकर कम से कम 50 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिए पात्र होंगे।

नोट: अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए उपरोक्तानुसार निर्धारित अंकों की शैक्षणिक अर्हता में 05 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।

(ङ) बी.एड (अंशकालीन-तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम हेतु -

- (1) ऐसे उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल अध्यापक जो आवेदन की तारीख को कम से कम दो वर्षों तक पूर्णकालिक अध्यापकों के रूप में रहे हैं और जो कार्यक्रम की पूर्ण अवधि के दौरान सेवा में बने रहेंगे, पाठ्यक्रमों में इन अध्यापकों के प्रवेश / पर्यवेक्षण में, उच्च बहुरेख्यता है इस आधार पर एक इनाम पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (2) ऐसे प्रार्थी जिन्होंने विज्ञान/मानविकी/सांसाजिक विज्ञान में स्नातक डिग्री तथा/अथवा स्नातकोत्तर डिग्री अथवा विज्ञान और गणित की गृहभूमि / विशेषज्ञता सहित कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित इंजीनियरी अथवा प्रीऑनियरी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है, प्रवेश के लिए पात्र है।
- (3) आवेदन की तिथिगत संस्थान के प्रमुख / अध्यक्ष से अनुसूचित प्राणपत्र प्राप्त कर अभिजेष्टों के साथ प्रस्तावना अनिवार्य होगी।

6. प्रवेश प्रक्रिया:-

- प्रवेश का उच्च शिक्षा विभाग के आगामी पाठ्यक्रम/अनुदान प्राप्त अध्यापकीय एवं अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के द्वारा प्रथम क्रम/समय पर तथा छात्रों द्वारा प्रथम सेमेस्टर से मई 2026-27 तक इंटरनेट पर ऑनलाइन प्रवेश की व्यवस्था होगी। मई 2026-27 में सम्पन्न महाविद्यालयों में प्रवेश के ही इंटरनेट पर ऑनलाइन माध्यम पर एप्लाइड सी.एन.सी. करण आवेदन किया जायेगा।
- अनलाइन प्रवेश से संबंधित आवेदक को अपना ऑनलाइन पंजीयन, अनलाइन प्रवेश प्रक्रिया हेतु विज्ञापन पुस्तक से जारी समग्र मासिकी अनुसार निर्धारित समयवधि में, अनिवार्यतः करना होगा। सी.एन.सी. करण में दिए गये सूत्रों पर महाविद्यालय में उपस्थित होकर सीधे प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं।

6.1 ऑनलाइन पंजीयन:-

6.1.1 उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी समग्र मासिकी अनुसार आवेदक ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं। प्रवेश प्रक्रिया की सम्पूर्ण जानकारी अनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। आवेदक अपना पंजीयन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं।

6.1.2 पंजीयन के पश्चात आवेदन करने समय आवेदकों को चाहिए कि वे अपने प्रमाण पत्रों में दर्ज जानकारी जैसे नाम, पिता/पति का नाम, जन्म का नाम, प्रायोजक, जन्म तिथि, श्रेणी, गवर्नर, प्रांत, दस्तावेज एवं पत्रिका का संख्या, पता, व्यवसाय, उच्च शिक्षा विभाग का पता, इत्यादि, छोटे पत्रधारण एवं अन्य जानकारी के अनुसार अनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया में अवधान करने में विशेष सावधानता के साथ ही प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए। आवेदक को उचित सुनिश्चित करना होगा कि ऑनलाइन आवेदन सूत्र दस्तावेजों में उल्लेखित जानकारी के अनुसार ही भरा गया है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम रूप में सबमिट (submit) करने के उपरान्त दर्ज प्रविष्टियों को किसी भी दशा में बदला नहीं जायेगा। ऑनलाइन आवेदन में यदि कोई त्रुटि या त्रुटिपूर्ण जानकारी दर्ज करने की दशा में पंजीयन/प्रवेश निरस्त होने का सम्पूर्ण दायित्व आवेदक का होगा।

टीप- आवेदन की प्रमाणीयता आधार कार्ड में अंकित जन्म तिथि में यदि भिन्नता है, तो मान्यता प्राप्त डॉक्यूमेंट द्वारा जारी 10 डी/11 की की अंकमूची में अंकित जन्म तिथि को मान्य कर सत्यापन किया जाएगा।

6.1.2 ऑनलाइन पंजीयन की कार्यवाही के अन्तर्गत प्रवेश हेतु आवेदक को कोर्स एवं महाविद्यालयों का चयन करना होगा, जिनमें आवेदक प्रवेश चाहता है। इसी प्रकार स्नातकोत्तर स्तर पर कक्षाओं में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीयन की कार्यवाही के माध्यम चयन एवं महाविद्यालयों का चयन करना होगा।

6.1.3 मानव संसाधन एवं उच्च शिक्षा विभाग प्रथम सेमेस्टर के आवेदकों को ऑनलाइन पंजीयन के समय ही ऑनलाइन प्रमाण पत्र (अन्य विश्वविद्यालयों से स्थानांतरित विद्यार्थियों के लिए) फॉर्म भी भरा जाएगा। प्रवेश शुल्क की प्रमाण पत्र के माध्यम से आवेदक के नामांकन एवं सुनिश्चित करें। डी.डी. कार्यवाही स्वतंत्र रूप से करनी होगी। उच्च शिक्षा विभाग के पंजीयन प्रक्रिया में सुनिश्चित करें। आवेदक को उचित रूप में प्रवेश देना। पंजीयन प्रक्रिया के पश्चात् नियमित विद्यार्थी के लिए "एआर" और स्वाध्यायी विद्यार्थी के लिए "पी" शब्द का प्रयोग किया जाएगा। संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक के माध्यम विश्वविद्यालय का सक्षिप्त नाम जैसे "एवीयू" अंकित किया जाएगा। विश्वविद्यालय परिवर्तन होने पर विद्यार्थी को आवेदन नामांकन प्रमाण पत्र सुनिश्चित करें, ही पर्यावरण संबंधित विश्वविद्यालय में स्थानांतरित हो जाएगा और उसके माध्यम ही संबंधित विश्वविद्यालय का सक्षिप्त नाम अंकित कर दिया जाएगा जैसे "बीयू/ डी.ए.वि. वि" अंकित किया जाएगा।

6.1.4 पाठ्यक्रम जिनमें प्रवेश हेतु अर्हता स्नातक है, उनमें अर्हतागी स्नातक अंतिम वर्ष / स्नातक अंतिम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में प्रावधिक प्रवेश हेतु वार्षिक पद्धति के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष / सेमेस्टर पद्धति के प्रथम से चतुर्थ/पंचम सेमेस्टर तक के कुल अंकों के प्रमाणांक का प्रयोग किया जायेगा। प्रथम चरण तथा मी.एन.सी. चरण में स्नातक अंतिम वर्ष / सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम प्रथम वार्षिक पद्धति के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष / सेमेस्टर पद्धति के प्रथम से चतुर्थ / पंचम सेमेस्टर के कुल प्रमाणांक के आधार पर प्रावीण्यता निर्धारित की जायेगी।

6.1.5 NCTE पाठ्यावली हेतु राज्य शासन के आदेश क्रमांक 983/सीसी/14/38 दिनांक 06.06.14 एवं क्रमांक 123/06/आ.आ.सा.नं.15 दिनांक 04.06.2015 के तहत स्नातक के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किन्तु स्नातकोत्तर वस्तु से ग्रेजुएट में अध्ययनरत एवं डि.बि. द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थी प्रवेश न करके तथापि, आवेदकों को यह गृहित करने का निर्देश कि वे स्नातकोत्तर परीक्षा में उत्तीर्ण हो स्नातकोत्तर परीक्षा में अनुत्तीर्ण/ ए.टी.के.टी. होने पर नियमित विद्यार्थी के रूप में वे केवल एक ही उपाधि पाठ्यक्रम में अध्ययन कर सकते हैं।

6.1.6 प्रवेश प्रक्रिया में अर्ह परीक्षा परिणाम घोषित होने की स्थिति में आवेदकों को स्वयं/अभिभावक को परिश्रम करके ग्रेजुएट के माध्यम से पोर्टल पर अद्यतन परीक्षा परिणाम अंतिम कराना एवं स्नातकोत्तर की प्राप्ति पूर्ण कराना अनिवार्य होगा।

6.1.7 पंजीयन शुल्क का भुगतान समय-सारणी अनुसार, चरणवार निम्नानुसार देय होगा:-

आवेदकों द्वारा पंजीयन शुल्क की राशि 100 रुपये भुगतान ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से ही किया जा सकता है। विद्यार्थी से प्रथम चरण में कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। प्रथम चरण उपरोक्त पंजीयन शुल्क एवं (वेल्थ शुल्क सहित) राशि रुपये 150 रुपये का भुगतान समस्त छात्र छात्राओं को करना होगा। भुगतान ही ऑनलाइन ई-मार्गदर्शन होगा।

6.1.8 वांछित पाठ्यक्रम के स्थान नृदिवश अन्य पाठ्यक्रम में पंजीयन होने संबंधी प्रावधान :-

यदि आवेदक द्वारा स्नातकोत्तर के स्थान पर नृदिवश स्नातक में पंजीयन हो जाता है तो आवेदक अपने अंतिम में दिए गए पंजीयन निरस्तीकरण मेनू से अपना आवेदन स्वयं निरस्त कर सकता है।

6.2 पंजीयन हेतु पूरक प्राप्त विद्यार्थियों संबंधी निर्देश: -

वर्ष 12वीं में पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को भी प्रावधिक प्रवेश के लिए पंजीयन कराना अनिवार्य है। एवं आवेदन प्रथम चरण में पंजीयन कर सकने परन्तु आवश्यक दस्तावेज / प्रमाण पत्र अपलोड करने एवं महाविद्यालय / पाठ्यक्रम नाम की प्रकिया मी.एन.सी. चरण की निर्धारित समय सीमा में ही कर सकने पर प्रवेश प्रक्रिया संचालन के मध्य पूरक परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम घोषित होने पर उन्हें मी.एन.सी. चरण में अपने ऑनलाइन आवेदन को अद्यतन करने के साथ ही महाविद्यालय/पाठ्यक्रम की वेबसाइट पर दस्तावेज / प्रमाण पत्र की स्वीकृति अनिवार्यतः ऑनलाइन अपलोड करना होगा।

OK

6.2.1 प्रवेश प्रक्रिया के भी पूरा भी, चरण तक आवेदकों के पुस्तक परीक्षा के परिणाम घोषित न होने की स्थिति में पुस्तक प्राप्त विद्यार्थियों को महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने की स्थिति में प्रावधिक प्रवेश दिवस जाणना।

6.3 महाविद्यालय / पाठ्यक्रम चयन प्रक्रिया

सन् 2026-27 की अकादमिक ई-प्रवेश प्रक्रिया में पंजीयन के समय आवेदक न्यूनतम 1 एवं अधिकतम 10 महाविद्यालय/पाठ्यक्रमों का चयन करते हुए विकल्प चयन (स्वार्डिंग प्रिब्लिम) करेंगे।

NCTE पाठ्यक्रमों में न्यूनतम 1 एवं अधिकतम 10 महाविद्यालयों/पाठ्यक्रमों का चयन करने हुए विकल्प चयन (स्वार्डिंग प्रिब्लिम) करेंगे।

6.4 पंजीयन हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया:-

ई-समाप्ति आवेदकों को कोठे की दस्तावेज अपलोड नहीं करना होगा केवल अधिभाग के इच्छुक आवेदकों को संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होंगे। जिन आवेदकों का ई-समाप्ति नहीं हुआ है वगैरे आवेदकों को पंजीयन के समय ई-समाप्ति हेतु निम्नलिखित आवश्यक मूल दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड करना होगा (स्पष्ट एवं पठनीय):-

1. जन्म तिथि प्रमाण-पत्र।
 2. न्यूनतम अंशकारी परीक्षा की प्रतः मूर्ची।
 3. माध्यमिक में अथवा 12वीं वर्गीय आवेदकों की मूल अंशमूर्ची के अभाव में पंजीयन के समय आवेदक को उच्चतर माध्यमिक या उच्चप्रमाणित अंश मूर्ची मांग्य होगी।
 4. स्नातकोत्तर (द्वितीय) स्तर में प्रवेश हेतु स्नातक अंशमूर्ची वर्गोपग्रम (इच्छु) में मेमेन्टर का परिष्ठा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में आवेदक प्रवेश हेतु स्नातक द्वितीय वर्गोपग्रम वर्ग, मेमेन्टर की अंशमूर्ची के साथ नृतीय वर्गोपग्रम (इच्छु) में मेमेन्टर की नेट में डाउनलोड की गई अंशमूर्ची को स्वसमाप्ति करने के बाद एक साथ स्कैन कर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
 5. स्नातकोत्तर (द्वितीय) स्तर में प्रवेश हेतु स्नातक अंशमूर्ची अंशमूर्ची (with रिजल्ट) का परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में आवेदक प्रवेश हेतु स्नातक नृतीय वर्गोपग्रम में मेमेन्टर की अंशमूर्ची के साथ नृतीय वर्गोपग्रम (इच्छु) में मेमेन्टर की नेट में डाउनलोड की गई अंशमूर्ची को स्वसमाप्ति करने के बाद एक साथ स्कैन कर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
 6. जाति प्रमाण पत्र संबंधी:- जाति प्रमाण-पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग), यदि लागू हो तो।
- (घ) आयुक्त उच्च शिक्षा के पत्र क्रमांक 352/243/अधशि/शा-5 अ/2019, भागान्द दिनांक 13.06.2019 के अन्तर्गत में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के पास उनके स्वयं के नाम का जाति प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में आवेदक के पिता के नाम पर जारी न्यायी जाति प्रमाण पत्र को प्रयोग करके पंजीयन हेतु मांग्य शिक्षा गया है।

(च) आवेदक का डिजिटल प्रति प्रमाण पत्र न होने के स्थिति में मूल अधिकारी द्वारा जारी पुर्ब के वैध प्रति प्रमाण पत्र भी सत्यापन हेतु मान्य किये जायेंगे।

7. **सर्वो प्रमाण पत्र संबंधी:** - सर्वो प्रमाण पत्र का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक मार्गदर्शिका के बिंदु क्र. 25 का आवश्यक रूप से अवलोकन करें तत्पश्चात् ही पंजीयन के समय प्रमाण पत्र अपलोड करें। (सैनिक/परिवर्तन वर्ग/वर्गी/ विधवा / परिन्धकाला वर्ग आदि), यदि लागू हो तो।

8. **मूल निवासी संबंधी:** - मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं उन्हें पंजीयन के समय मध्यप्रदेश के मूलनिवासी का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, अन्यथा उन्हें मध्यप्रदेश के मूल निवासी का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

9. **आय प्रमाण-पत्र:-** लघुनिम्न आय प्रमाण-पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग (श्रीमानिकर को छोड़कर) ई.एच.एस. (EWS) के आवेदकों के लिये स्व-प्रमाणित घोषणा-पत्र संलग्न प्रायः 6 अनुसार (कमांक एच. 7-28/2009/आ.प्र.आ. सं.भा.द, दिनांक 02.11.2017)

10. **चिकित्सा प्रमाण-पत्र (बी.पी.एड/एम.पी.एड. हेतु), जो भी लागू हो।**

11. (i) **अधिभार प्रमाण-पत्र (बी.पी.एड/एम.पी.एड. हेतु), जो भी लागू हो।**

बिंदु क्रमांक 5.4.1 का (ड) की नानिका के अनुसार

(ii) **अधिभार प्रमाण-पत्र NCTE पाठ्यक्रमों को छोड़कर, जो भी लागू हो।-**

(अ) स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये अधिभार हेतु आवेदक स्कूल स्तर के विगत चार क्रमिक सत्र (अर्थात् सत्र 2022-23 के पूर्व के मान्य नहीं होंगे) तक के प्रमाण पत्र ही पंजीयन के समय अपलोड कर सकेंगे।

(ब) स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में अधिभार हेतु स्नातक स्तर में आवेदक के विगत तीन क्रमिक सत्र (अर्थात् सत्र 2023-24 के पूर्व के मान्य नहीं होंगे) तक के प्रमाण पत्र ही पंजीयन के समय अपलोड कर सकेंगे।

(स) एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर केवल सर्वाधिक अधिभार का लाभ एक ही वर्ग में दिया जायेगा। अतिरिक्त सर्वाधिक अधिभार वाला प्रमाण पत्र ही पंजीयन के समय अपलोड करें।

(द) अधिभार का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक मार्गदर्शिका के बिंदु क्र.25 का आवश्यक रूप से अवलोकन करें तत्पश्चात् ही पंजीयन के समय प्रमाण पत्र अपलोड करें।

12. **सेवारत संस्थान के प्रमुख / अध्यक्ष को अनापत्ति प्रमाण-पत्र (बी.एड जंशकालीन हेतु)।**

6.5 पंजीकृत आवेदकों के दस्तावेजों के सत्यापन की ऑनलाइन प्रक्रिया:

(अ) पंजीकृत आवेदकों की दस्तावेजों के सत्यापन हेतु महाविद्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदकों का सत्यापन पंजीयन प्रार्थना का अपलोड किए गए दस्तावेजों के आधार पर आसकीय सहायिका/सहायक (ऑनलाइन) द्वारा ऑनलाइन सत्यापन किया जायेगा। आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि अपलोड प्रमाण पत्र/दस्तावेज सहीतः सार्व प्रारंभिक हों।

6.5.1 ऑनलाइन सत्यापन संबंधी निर्देश:-

- (अ) ऑनलाइन सत्यापन हेतु समस्त शान्तीय महाविद्यालय हेल्प सेंटर आवेदन अनुसार विभागीय पोर्टल के माध्यम से आवेदकों के पंजीयन फॉर्म के सत्यापन हेतु अपलोड किए गए प्रमाण पत्र/दस्तावेजों को डाउनलोड कर परीक्षण उपरान्त संबंधित अधिकारी "सत्यापन पूर्ण" के बॉक्स पर क्लिक करेंगे, जिससे आवेदक को ऑनलाइन सत्यापन सूनिश्चित हो सकेगा।
- (ब) सत्यापन अधिकारी ऑनलाइन सत्यापन संबंधी कार्यवाही निर्धारित समय-सीमा में एक दिवस पूर्व तक पूर्ण तत्पर सुनिश्चित करेंगे।
- (ग) आवेदक को फॉर्म ऑनलाइन सत्यापित होने ही इसकी सूचना आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर संदेश के माध्यम से प्रेषित की जाएगी।
- (घ) आवेदक स्वयं भी अपने लॉगिन आई.डी. में आवेदन फॉर्म के ऑनलाइन सत्यापन की अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

6.5.2 असत्यापित / त्रुटिपूर्ण / अपूर्ण जानकारी युक्त आवेदन संबंधी निर्देश -

- (अ) यदि किसी आवेदन के पंजीयन आवेदन फॉर्म में त्रुटि है या अपलोड किए गए आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेज अणभूत/असंगत / अपूर्ण पाये जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आवेदन फॉर्म का ऑनलाइन सत्यापन नहीं किया जा सकेगा।
- (ब) संबंधित सत्यापनकर्ता अधिकारी ऐसे आवेदन पत्रों को त्रुटिपूर्ण/असत्यापित आवेदन फॉर्म की सूची में स्थेंगे। ऐसे त्रुटिपूर्ण प्रकरणों की जानकारी का गंधारण किया जाएगा। ऐसे आवेदक जिनके दस्तावेजों में अस्पष्टता या त्रुटि पाई जाती है, इस आशय की सूचना आवेदक के पंजीकृत मोबाइल पर प्रेषित करने का दायित्व संबंधित महाविद्यालय का होगा। सत्यापनकर्ता अधिकारी आवेदक के आवेदन फॉर्म को "असत्यापित का त्रुटिपूर्ण (त्रुटि है सूचित)" वर्ग में क्लिक करेंगे। इसकी सूचना आवेदक को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर विभागीय पोर्टल द्वारा संदेश के माध्यम से भी दी जाएगी। आवेदक पंजीकृत मोबाइल नंबर पर संदेश प्राप्त होने तथा विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध कैलिडर मॉडल में नकल करने हों।
- (ग) ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया हेतु निर्धारित समय मारणी अनुसार आवेदक स्वयं/अभिभावक को मूल दस्तावेजों के माध्यम से लॉगिन भी निकटतम शान्तीय महाविद्यालय (Help Center) में उपस्थित होकर अथवा स्वयं के लॉगिन से त्रुटि सुधार कर पुनः सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा। अन्यथा के स्थिति में आवेदन स्वयं प्रिमेदार होगा। शान्तीय महाविद्यालय (Help Center) में आवेदकों के पंजीयन आवेदन में त्रुटि सुधार कर इसके सही दस्तावेज अपलोड कर, पुनः विकल्प चयन करवाकर, पुनः सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण करेंगे। इसके पश्चात् ऑनलाइन सत्यापन पन्नी (ऑनलाइन वेरिफिकेशन लिंक) आवेदक को दी जावेगी।
- (घ) आवेदक को फॉर्म ऑनलाइन सत्यापित होने ही इसकी सूचना आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर संदेश के माध्यम से प्रेषित की जावेगी। आवेदक स्वयं भी अपने लॉगिन आई.डी. में आवेदन फॉर्म के ऑनलाइन सत्यापन की अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- (ङ) सत्यापन के समय अपूर्ण जानकारी सूक्त/अनावश्यक दस्तावेज / एक जैसे पंजीयन आवेदन आने पर सत्यापनकर्ता अधिकारी उसे ऑनलाइन उपलब्ध करण गए सर्वेज डैश (रिजेक्ट) पर प्रेषित करेंगे। जिसमें महाविद्यालय के पोर्टल पर अनावश्यक लॉगिन आवेदन न हो।

- (ग) मंत्रालय के पश्चात् परन्तु अनिन्वादन पंजीयन शुल्क जमा करने के पूर्व यदि कोई चूटि / विमंगनि मजान में आवेगी तब मात्र उम्मीदवारों में परीक्षा कर शामिल महाविद्यालयों के महाविद्यालयों के माध्यम से चूटि नकार किया जा सकता। परीक्षाएं उपरोक्त आवेदक पुनः चिकित्सक चयन कर पुनः मंत्रालय की प्राथम्य प्रतिवापन पूर्ण करेगा।
- (ख) निर्धारित तिथियों में पंजीकृत एवं मन्थपित आवेदकों को ही गुणानुक्रम अनुसार महाविद्यालयों में प्रवेश आवंटन हेतु सम्मिलित किया जायेगा।
- (घ) किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदकों / हेल्थ सेक्टर द्वारा की गई चूटि का सुधार मंत्रालय उपरोक्त नहीं किया जा सकता, ऐसे विद्यार्थी का प्रवेश मान्य नहीं होगा।

6.6 प्रवेश आवंटन हेतु गुणानुक्रम एवं प्राथमिकता का निर्धारण:-

- (अ) प्रवेश आवंटन हेतु परीक्षा में प्राप्त की गई अंकों पर अधिकार पात्र कोट देय हेतु अधिकार को प्रोत्साहन समग्र अंकों के आधार पर गुणानुक्रम का निर्धारण किया जाएगा। सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी के विवेक-पृथक गुणानुक्रम तैयार की जायेगी। सीट आवंटन मेजर विषय के आधार पर किया जायेगा।
- (ब) स्नातकोत्तर (द्वितीय) में प्राथमिकता का निर्धारण -
किसी एक विषय में स्नातकोत्तर (द्वितीय) परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य किसी विषय की स्नातकोत्तर (द्वितीय) में प्रवेश देना सहने की दशा में ही पात्रतानुसार सीट/सीट, चरण में प्रवेश दिया जा सकता है। ऐसे आवेदक प्रथम चरण में पंजीयन कर सकते परन्तु आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण पत्र अपनाने करते एवं महाविद्यालय / पाठ्यक्रम चयन की प्रक्रिया सीट/सीट चरण में निर्धारित समय सीमा में ही कर सकते हैं।
- (ग) बी.पी.एड एवं एस.पी.एड. पाठ्यक्रमों में अर्हता जारी परीक्षा के प्राप्तियों तथा एपोर्ट्स प्रोफिशियन्सी के बिना योग्य अंक प्रदान किये जायेंगे। इस प्रकार कुल समेकित प्राप्तियों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जायेगी।

मंत्रालय के पश्चात् केवल NCTE पाठ्यक्रमों की गुणानुक्रम के आधार पर मेरिट सूची जारी की जायेगी।

- (घ) यदि दो विद्यार्थियों में मेरिट समान हो तो प्राथमिकता इस प्रकार रहेगी:
- प्रथम प्राथमिकता: अधिक प्रतिशत वाले विद्यार्थी को।
 - द्वितीय प्राथमिकता: जन्मतिथि (DOB) के अनुसार (अधिक आयु के विद्यार्थी को वर्गीयता)।
 - तृतीय प्राथमिकता: निम्न सहने पंजीकरण (Registration) किया हो, उसे वर्गीयता दी जायेगी।

6.6.1 प्रवेश हेतु गैर आवंटन प्रक्रिया

- (अ) अनिन्वादन प्रवेश प्रक्रिया में शामिल सम्पूर्ण महाविद्यालयों को प्रथम चरण की आवंटन सूची पोर्टल पर उनकी वर्गीयता प्रकृति पर उपलब्ध रहेगी। आवेदक द्वारा संबंधित महाविद्यालय के अनिन्वादन शुल्क भुगतान पश्चात् प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची सभी महाविद्यालय अपनी लगभग आर्टोई पर देख सकते हैं। शुल्क भुगतान उपरोक्त आवेदक द्वारा प्रवेश निरस्त करने पर ऐसे विद्यार्थियों की सूची भी पोर्टल पर दर्शित होगी।
- (ब) प्रथम चरण में सभी ई-मन्थपित आवेदकों को गुणानुक्रम एवं उनके संकाय / विषय एवं महाविद्यालयों के विद्यार्थी के आधार पर महाविद्यालय में प्रवेश आवंटन, अनिन्वादन प्रवेश समय सारणी अनुसार पोर्टल पर जारी किया जायेगा।

- (स) इसकी सूचना आवेदकों को उनके द्वारा फंजीयत के समय दर्ज मोबाईल नम्बर पर संदेश के द्वारा दी जायेगी साथ ही, आवेदक अपना प्रवेश आवंटन आवश्यक रूप में प्रवेश पोर्टल पर स्वयं भी जागिन पोसबल में चेक कर आवंटन पत्र डाउनलोड कर सकेंगे।
- (द) आवंटन प्राप्त होने के उपरांत प्रवेश के लिए आवेदकों को आवंटित महाविद्यालय में जाने/प्रवेश शुल्क चुकाने हेतु निकटस्थीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी।
- (ख) NCTE पाठ्यक्रमा में आवंटन प्राप्त होने के उपरांत प्रवेश के लिए आवेदकों को समस्त मूल दस्तावेजों एवं मूल टी.सी./ माइग्रेशन के साथ शैक्षिक सत्यापन हेतु आवंटित हेल्पसेटर पर उपस्थित होंगे। शत्यापन उपरांत आवेदक पत्र एवं आवंटन पत्र के साथ समस्त दस्तावेज की स्वप्रमाणित छायाप्रति मूल टी.सी./ माइग्रेशन हेल्प सेटर में जमा की जाएगी। सत्यापन उपरांत आवेदक प्रवेश शुल्क जमा कर सकेंगे।
- (ग) अदालत परामर्श के परिणाम घोषित न होने पर आवेदक मूल टी.सी./ माइग्रेशन के स्थान पर शपथ पत्र प्रस्तुत करवाए।
- (घ) अंतिम आवंटन विषय चयन के उपरांत प्रवेश शुल्क (संबंधित महाविद्यालय के नामांकन शुल्क सहित) का भुगतान विभागीय सूचना के माध्यम से ऑनलाइन डिजिटल विकल्पों का उपयोग करते हुए समय-सारणी अनुसार निर्धारित तिथि तक कर सकेंगे।
- (च) प्रवेश पोर्टल में शुल्क जमा करने की पृष्ठि होने पर ही आवेदक का नाम संबंधित महाविद्यालय की प्रवेश सूची में दर्जित होगा। उक्त प्रवेश शुल्क संबंधित महाविद्यालय के प्लान में दी+1 दिवस में ऑनलाइन ही चुकाना होगा।

6.6.2 महाविद्यालय/संकाय/ मेजर विषय में आवंटन पश्चात् प्रवेश शुल्क भुगतान के पूर्व आवेदकों द्वारा ऑनलाइन विषय चयन किये जाने संबंधी निर्देश:-

आवेदकों को महाविद्यालय आवंटित होने पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में खासकर प्रथम चरण में अद्यतन माध्यम से अनुसार सर्वप्रथम ऑनलाइन विषय चयन की प्रक्रिया के अंतर्गत पूर्व प्रकाशित अनुसार मूल विषय पोर्टल पर प्रदर्शित होंगे। आवेदक उपरोक्त नीति विषयों में से मेजर 1 तथा मेजर 2 (माइग्रेशन तथा वैकल्पिक विषय) का चयन कर सकेंगे। महाविद्यालय में अल्प संकाय में चयनित होने की स्थिति में आवेदक को वैकल्पिक विषय के स्थान पर किसी दूसरे संकाय से मामात्य वैकल्पिक विषय के चयन करने का अवसर प्राप्त होगा। इसके साथ ही आवेदक को संबंधित महाविद्यालय में संबंधित व्यावसायिक विषय में से एक व्यावसायिक विषय एवं प्रोडक्ट / इंटर्नशिप / प्रेसिडेंसशिप / कम्प्यूनिटी इंजीनियरिंग में से किसी एक का चयन करना अनिवार्य होगा।

6.6.3 ऑनलाइन (प्रवेश शुल्क एवं नामांकन शुल्क भुगतान प्रक्रिया)

- (अ) आवेदक द्वारा फंजीयत के समय छात्रवृत्ति का लाभ लेने हेतु पूर्व (माध्यमिक स्तर पर) में प्रदान की गई स्वतंत्रशिप आई.डी. दर्ज करना होगा।
- (ब) मेरी आनिकाए जिन्होंने स्कूल स्तर पर लाइली लक्ष्मी योजना का लाभ लिया है। प्रवेश शुल्क भुगतान के पूर्व लाइली लक्ष्मी योजना का चयन कर लाभ प्राप्त कर सकेंगी।

- (ग) वर्ष 2026-27 में कलाभागीयों द्वारा मंचायित स्वचिनीय पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले आवेदक यदि अनभूत/अज्ञान/अनजानि/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अनर्गल आते हैं ऐसी स्थिति में यदि आवेदक मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना/मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना/मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजनाओं का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर योजना नयन करने की स्थिति में आवेदक को प्रवेश शुल्क जमा नहीं करना होगा।
- (घ) आवेदक का ऑनलाइन निगम नयन करने के उपरान्त प्रवेश शुल्क सामान्य पाठ्यक्रम हेतु पोर्टल पर प्रदर्शित राशि 5000 तक या 5000 से कम एक मुख्य तथा 5000 से ऊपर 3 किश्तों में जमा करवा देना एवं संबंधित विश्वविद्यालय का नामांकन शुल्क भी जमा करना होगा।
- (च) शुल्क जमा करने के पूर्व ही आवेदक को पात्रतानुसार लाइली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना / मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना/मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना का नयन भी करना होगा। स्वचिनीय पाठ्यक्रम में प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु समस्त शुल्क तीन किश्तों जमा किया जाएगा: मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना/मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना एवं कोविड-19 बाल कल्याण योजना तथा लाइली लक्ष्मी योजना 2.0 के आवेदकों के लिए प्रक्रिया कठिनाई 11.1, 11.2, 11.3 एवं 11.4 से उपचार होगी। (NCTE पाठ्यक्रमों में लागू नहीं)
- (ज) नामांकन विभाग के अधिकार पर प्रवेश शुल्क का भुगतान आवेदक नेट बैंकिंग/ड्रिड काई/डिबिट काई/यूपीआई के माध्यम से स्वयं कर सकेगा।
- (झ) प्रवेश शुल्क (नामांकन शुल्क सहित) भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने ही आवेदक को प्रवेश प्राप्त होने की सूचना पंजीयन पोर्टल/वेबसाइट पर प्राप्त होगी।

6.6.4 शुल्क भुगतान उपरोक्त ऑनलाइन एडमिशन ग्लिप के प्रिंट आउट लेने संबंधी :-

आवेदक द्वारा ऑनलाइन एडमिशन ग्लिप का प्रिंट आउट विभागीय पोर्टल के माध्यम से प्रवेश शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् प्राप्त किया जा सकेगा, यह प्रवेश प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है जिससे ऊचदश यह सुनिश्चित कर सके कि उनके प्रवेश की प्रविष्टि पोर्टल पर हो चुकी है। एडमिशन ग्लिप का बाद में भी पंजीयन कक्षाएं एवं आर्टि.डी. पासवर्ड डालकर पोर्टल में प्रिंट लिया जा सकता है। आवेदक को प्रवेश रसीद का प्रिंट लेने के पश्चात् बाद महाविद्यालय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने की आवश्यकता है।

6.6.5 प्रवेश शुल्क का ट्रांजेक्शन फेल होने की दशा में आवश्यक निर्देश :-

आवेदक द्वारा पोर्टल से वापस में लिये गये पंजीयन / प्रवेश शुल्क का ट्रांजेक्शन यदि फेल होता है तो हम उसके दो कार्यवाही द्वारा किए जाने में आगे की प्रक्रिया के लिए उसे वापस में भुगतान किया जा प्रवेश शुल्क का ट्रांजेक्शन फेल होने की स्थिति में आवेदक का प्रवेश सुनिश्चित नहीं होगा अतः ट्रांजेक्शन के फेल होने की स्थिति में आवेदक को पुनः पोर्टल के माध्यम से निर्धारित समय सीमा में प्रवेश शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा आवेदक का नाम प्रवेश सूची में दर्जित नहीं होगा।

महत्वपूर्ण - विद्यार्थियों का प्रवेश शुल्क प्रवेशित महाविद्यालय की वेबसाइट में दर्ज बैंक खाते में स्थानांतरित होगा अतः सभी महाविद्यालय त्वरित बैंक खाते कक्षाओं को प्रोफाईल अद्यतन करने समय तय करना सुनिश्चित करेंगे। यह जिम्मेदारी पूर्णतः संबंधित महाविद्यालय की होगी। महाविद्यालय के बैंक खाते में विभागीय होने पर विद्यार्थियों की प्रवेश शुल्क को स्थिति संबंधित महाविद्यालय के बैंक खाते में तब तक वापस जमा नहीं हो पायेगी, जब तक की महाविद्यालय द्वारा बैंक खाते की स्थिति की दूर कर अद्यतन नहीं किया जाता है।

6.6.6 पंजीयन सं. 2026-27 में आगम्यताम प्रवेशित विद्यार्थियों को प्रवेश स्लीप (Admission Slip), पुनः प्रवेश के लिए अपने अपने संबंधित क्षेत्र प्रशासनिक प्राधिकरण महाविद्यालय में जमा करने की आवश्यकता होगी।

6.7 महाविद्यालय स्तर पर संचालित सर्टिफिकेट कोर्स चयन प्रक्रिया:-

महाविद्यालय स्तर पर संचालित छः माह के सर्टिफिकेट कोर्स में संस्था में प्रवेशित नियमित विद्यार्थी ही प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थियों की जानकारी महाविद्यालय स्तर पर सर्टिफिकेट कोर्सवार ऑनलाइन पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा होने के 30 दिवस की समयवधि में प्रत्यक्ष करना अनिवार्य होगा।

7. ऑनलाइन सी.एल.सी. चरण में महाविद्यालयों के रिक्त स्थानों पर प्रवेश हेतु पुनः विकल्प चयन एवं आवंटन प्रक्रिया :-

- 7.1 सी.एल.सी. चरण में प्रवेश हेतु महाविद्यालयद्वारा पाठ्यक्रम/ बर्षवार रिक्त स्थानों की जानकारी प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी।
- 7.2 पंजीयन आवेदन को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सी.एल.सी. चरण में महाविद्यालय एवं पाठ्यक्रम की बरीयता दर्ज करनी होगी। महाविद्यालय स्तर पर इस हेतु कोई भी लिखित आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा।
- 7.3 चरण की प्रथम बरीयता द्वारा आगम्यताम सी.एल.सी. चरण में महाविद्यालयों में जग रिक्त सीटों पर प्रवेश प्रदान किया जाएगा।
- 7.4 सी.एल.सी. चरण में समय-सारणी अनुसार रिक्त आरक्षित सीटों पर प्रवेश नियम का पालन सुनिश्चित करने हेतु संबंधित आरक्षित वर्ग के आवेदक उपलब्ध न होने पर उक्त रिक्त सीटें केंद्रिका 26.11 के प्रावधानों के निहित समय-सारणी अनुसार सामान्य बर्ष के आवेदकों हेतु परिवर्तित की जायेगी।
- 7.5 ऑनलाइन सी.एल.सी. प्रवेश प्रक्रिया में समय-सारणी अनुसार आवेदक द्वितीय चरण के पश्चात् रिक्त रह गए स्थानों में पुनः बरीयताओं में संधारण / परिवर्तन कर सकते हैं।
- 7.6 यदि आवंटन द्वारा संधारण महाविद्यालयों के विकल्पों में से कोई आवंटन उभे प्राप्त नहीं होता है तो ऐसे आवेदकों को रिक्त सीटों पर आगामी बर्षों में पुनः महाविद्यालय/विषय के चयन की सुविधा रहेगी। किन्तु परम्परागत पाठ्यक्रमों में आवंटन पश्चात् प्रवेश नहीं लेने पर आवंटित महाविद्यालय के आवंटित विषय में आगामी बर्षों में चार्टर्ड फिलिंग की पात्रता नहीं होगी और भीष्टे सी.एल.सी. चरण में चार्टर्ड फिलिंग का अवसर प्रदान किया जाएगा। किन्तु आगामी बर्षों में उर्मी महाविद्यालय के अन्य विषयों/ अन्य महाविद्यालयों में रुचि अनुसार विषयों में चार्टर्ड फिलिंग का अवसर प्रदान किया जाएगा।
- 7.7 आवेदक महाविद्यालय का चयन अपनी रुचि एवं प्राथमिकता अनुसार किया किन्ती दवाब एवं महाविद्यालय या बर्ष/समय-सारणी पर करें, जिसमें सैटिंग के आधार पर इनका चयन प्रथम चरण में ही सुनिश्चित हो सके।
- 7.7 NCTE पाठ्यक्रमों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण में प्रथम बरीयता के आधार पर आवेदकों को सीट आवंटित होने के उपरान्त आवेदक द्वारा प्रवेश नहीं लेने या प्रवेश लेकर निरस्त करने की स्थिति में उसे आवंटन के परिचित समय-सारणी अनुसार आगामी बर्षों की प्रवेश प्रक्रिया में आवंटन फिलिंग के अवसर से वंचित किया जाएगा।
- 7.8 'पुनः बरीयता' व्यक्त करने हेतु कोई शुल्क देय नहीं होगा।

- 7.9 आवेदन जिन्होंने पूर्व में अपना फेजीयन नहीं कराया है, समय-सारणी अनुसार फेजीयन शुल्क का भुनाना (म.प्र.वि.स. / अम्बेडकर अप्रनौड / महाविद्यालय / पाठ्यक्रम चयन/ई-सत्यापन पश्चात् सी.एन.सी. वरग/के.एच.ए.के.ए. में शामिल हो सकेंगे।
- 7.10 अनुनाडन प्रवेश प्रक्रिया में शामिल महाविद्यालयों का नोटिफिकेशन वरग की अवेदन नुर्ची पोर्टल पर उनकी वेबसाइट आइ.डी. पर उपलब्ध रहेगी।
- 7.11 सी.एन.सी. के समय सारणी अनुसार प्रवेश प्रक्रिया महाविद्यालय स्तर पर प्राथमिक सूची जारी कर दिवसानुसार मापत्र की जाएगी।

8. प्रवेश निरन्तीकरण प्रक्रिया एवं शुल्क वापसी प्रक्रिया

- 8.1 अनुनाडन प्रवेश वर्ष 2026-27 में प्रवेश निरन्तीकरण की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होगी।
- 8.2 आवेदन द्वारा निरन्तीकरण आवेदन सवधित करने पर उनके द्वारा आवेदन पत्र में दजे फेजीयन मोंचाइल नंबर पर प्राप्त ओ.टी.पी. दर्ज करने पर प्रवेश स्वतः निरन्त हो जावेगा। जिसकी पावती आवेदक को ऑनलाइन प्राप्त हो सकेगी।
- 8.3 शासकीय/अशासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय एवं अल्पसंख्यक महाविद्यालय द्वारा प्रवेश प्रक्रिया के माध्य प्रवेश लेकर ऑनलाइन प्रवेश निरन्त होने पर महाविद्यालय को ऑनलाइन पोर्टल में स्वतः सूचित होगा।
- 8.4 प्रवेश प्रक्रिया के दौरान निरन्तीकरण कराने पर आवेदन को अपना स्थाना वगोक एवं आउटगप/फेजीयन शुल्क का भुनाना/अम्बेडकर अप्रनौड/महाविद्यालय/पाठ्यक्रम चयन पर ई-प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। महाविद्यालय स्तर पर ई-सत्यापन पश्चात् एम. आवेदक अहेता पूर्ण होने पर गृहानुक्रम अनुसार प्रवेश हेतु पात्र होंगे। परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में एम. आवेदक स्वाध्यायी (प्राइवेट) विद्यार्थी के रूप में शामिल होकर, अगले वर्ष पावता पूर्ण करने एवं स्थान रिक्त होने की दशा में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे।
- 8.5 अल्पसंख्यक शुल्क जमा करने की अनिम निधि के पश्चात् प्रवेश निरन्तीकरण कराने पर प्रवेश शुल्क सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा वापिस किया जावेगा।
- 8.6 "रुक जाना नहीं" अर्थात् प्रवेश ई-प्रवेश प्रक्रिया के दौरान परीक्षा परिणाम घोषित होने की स्थिति में एम. आवेदक नहीं होकर अन्तर्गत दर्शाये आवेदक, स्थानक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु ऑनलाइन फेजीयन एवं फेजीयन शुल्क का भुनाना/अम्बेडकर अप्रनौड/महाविद्यालय/पाठ्यक्रम चयन पर ई-प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। महाविद्यालय स्तर पर ई-सत्यापन पश्चात् एम. आवेदक अहेता पूर्ण होने पर गृहानुक्रम अनुसार प्रवेश हेतु पात्र होंगे। परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में एम. आवेदक स्वाध्यायी (प्राइवेट) विद्यार्थी के रूप में शामिल होकर, अगले वर्ष पावता पूर्ण करने एवं स्थान रिक्त होने की दशा में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे।

9. शासकीय सेवक के स्थानान्तरित होने पर पाल्यों के प्रवेश संबंधी निर्देश

शासकीय सेवक के स्थानान्तरित होने पर पाल्यों के प्रवेश केंद्रिका 23.1 (अ) में उल्लेखित शासकीय सेवक के स्थानान्तरित होने पर प्रवेश की अनिम निधि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पाल्य का महाविद्यालय में आवेदन कक्षा में स्थान रिक्त होने पर प्रवर्तित मच के दौरान प्रवेश दिया जा सकेगा। उन हेतु संबंधित शासकीय सेवक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। शासकीय सेवक के स्थानान्तरण के पश्चात् निर्धारित मुख्यालय के किसी भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त न होने पर कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा में अनुमति प्राप्त कर पाल्य को प्रवेश दिया जा सकेगा। प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर संबंधित महाविद्यालय द्वारा दर्ज करनी होगी। (उक्त केंद्रिका NCTE पाठ्यक्रमों पर लागू नहीं होगी।)

ok

10. पूरक प्राप्त आवेदकों के प्रवेश-

- 10.1 अनन्तार्थन चरण में अंतिमवारी परीक्षा में पूरक प्राप्त आवेदकों हेतु गिनत सीटों पर पात्र आवेदक उपलब्ध न होने पर डी.एणानुक्रम के आधार पर प्रावधिक प्रवेश हेतु अनन्तार्थन सीटें,एन.सी., चरण में प्रवेश दिया जाएगा।
- 10.2 प्रावधिक प्रवेश के लिए अंतिमवारी परीक्षा में पूरक प्राप्त इट्टी आवेदकों पर विचार किया जाएगा किन्तु इसे अपना गजावन / एस्तविज अपलोड / महाविद्यालय भाड्यक्रम चयन/ई-मत्यापन निर्धारित तिथियों में ही करना निचा है।
- 10.3 पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को निर्धारित तिथि तक परीक्षा परिणाम घोषित न होने की दशा में गुणानुक्रम के आधार पर अवशर प्राप्त होने की स्थिति में प्रावधिक प्रवेश केला जाएगा स्थान गिनत होने पर आगामी डी.एणानुसी. चरण में प्रावधिक प्रवेश दिया जा सकेगा।
(नोट- इस तरह पूरक परीक्षा परिणाम केबले अवलुकी डी. अनन्तार्थन पंजीयन व समय अपलोड करनी होगी।)
- 10.4 प्रावधिक प्रवेशित विद्यार्थियों को पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित होने के उपरान्त निर्धारित समय मागगी अनुमार उन्नीण/अनुन्नीण की जानकारी अद्यतन कराना होगा। जिसमें आवेदक का प्रवेश निम्नर/निम्न शिवा जा सके। प्रावधिक प्रवेशित विद्यार्थी के अनुन्नीण घोषित होने पर आवेदक का प्रवेश निम्नत होने की स्थिति में महाविद्यालय द्वारा 100/- प्रक्रिया शुल्क काटकर शेष राशि चरण की जायगी।

11. म.प्र. शासन द्वारा विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु हितछाही योजनाएं :-

मध्यप्रदेश शासन की हितछाही योजनाओं की गणना जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध हाइपरलिक के माध्यम से प्राप्त की जा सकेगी है।

11.1 मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी (MMVY) योजना

मध्यप्रदेश शासन द्वारा शिक्षा विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक B66/342/सी.सी./2017 दिनांक 24 जून 2017 के तहत प्रवेश न प्रतिभाशाली आवेदकों को उच्च शिक्षा हेतु पोसाहित किए जाने के अनुक्रम में सन 2017-18 में मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना मंचानित है।
इस योजना में शिवालयक तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा जारी नियमों के तहत शिवा गया है।

11.1.1 पात्रता की शर्तें :-

- मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
- विद्यार्थी के पिता/माता की वार्षिक आय आठ लाख रुपये से कम हो।
- विद्यार्थी ने 12वीं परीक्षा मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल बोयाल में 70 प्रतिशत या उसमें अधिक अंक अवशर में की गत 12आर.सी.एन.टी बोर्ड में 85 प्रतिशत या उसमें अधिक अंक प्राप्त कर उन्नीण में हो।

11.1.2 योजना का स्वरूप :-

यह योजना छात्रों के मध्य में प्रवेश प्राप्त करने हेतु जासु की गई है। योजना के संवश में अन्य आवश्यक शिवा निर्देश/न्यायका संबंधी समय-समय पर जारी शासन के निर्देशों का पालन शिवा जायगा। छात्रक प्रथम चर्च में प्रवेश प्राप्त होने पर विद्यार्थी को इस योजनामगीत संस्थाओं को देस शुल्क के रूप में प्रवेश शुल्क एवं चर चारसार्थक शुल्क (मेम शुल्क एवं कांशल मनी कां छोहतर) जो शुल्क विनियामक समिति

अथवा म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग अथवा भारत सरकार / राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है, का ही भुगतान किया जावेगा। (म.प्र. शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग का पत्र क्र. एफ 5-6/2017/42 (1) भोपाल दिनांक 05.06.2018)

11.1.3 स्वीकृत प्रवेश प्राप्त पात्र विद्यार्थियों को बैचलर ऑफ इंजिनियरिंग एवं कॉमन सी के भुगतान करना होगा। म.प्र. शासन अल्प जेमे प्रवेश शुल्क (नामांकन शुल्क सहित) एवं परीक्षा शुल्क राज्य शासन द्वारा देय होगा। महाविद्यालय द्वारा परीक्षा शुल्क को प्रतिष्ठित हनु निदर्शी परीक्षा के शुल्क को आधार माना जा सकता है।

11.2 मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना (MMJICY)

मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना के तहत म.प्र. शासन तकनीकी शिक्षा विभाग, कौशल विकास एवं योजनाएं विभाग के आदेश क्रमांक एफ-14-2/2008/42-2 दिनांक 21 अगस्त 2018 के तहत प्रवेश दिया जावेगा। इस हेतु समय समय पर जारी आदेशों का पालन भी सुनिश्चित किया जावेगा।

11.2.1 पात्रता की शर्तें :-

क. यह योजना आ.पा. एवं कानूननर दत्त) वर्गों पर प्रदान की जायेगी।

ख. विद्यार्थी के माता पिता का म.प्र. शासन के श्रम विभाग में अंमलगत कर्मकार के रूप में पंजीयन होना अनिवार्य है।

11.2.2 योजना का स्वरूप

राज्य शासन द्वारा शिक्षा मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 525/484/आ.शिक्षा/शा-5*अ/2018 भोपाल दिनांक 30 अगस्त 2018 के तहत राज्य शासन के समस्त शासकीय विश्वविद्यालय, शासकीय महाविद्यालयों एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में मनानिय छात्रक (प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष) एवं कानूननर (प्रथम/द्वितीय वर्ष) के पारम्परिक एवं स्वतंत्र पाठ्यक्रमों में निःशुल्क प्रवेश (निश्चित मन शुल्क एवं कॉमन सी के छोड़कर) दिया जायेगा।

11.2.3 स्वीकृत: कानूननर छात्रकाल के पात्र विद्यार्थियों को इस योजनांतर्गत प्रवेश प्राप्त होने पर केवल मन शुल्क एवं कॉमन सी के भुगतान करना होगा तथा अन्य शुल्क जेमे प्रवेश शुल्क (नामांकन शुल्क सहित) एवं परीक्षा शुल्क राज्य शासन द्वारा देय होगा। महाविद्यालय द्वारा परीक्षा शुल्क को प्रतिष्ठित हनु निदर्शी परीक्षा के शुल्क को आधार माना जा सकता है।

11.2.4 विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री जन कल्याण योजनाओं (सघाती / जनकल्याण) के लाभ प्राप्त करने में पूर्व, विद्यार्थी राज्य शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य हितकारी योजनाओं का भर्ती भोग अध्ययन करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क भुगतान के समय इन योजनाओं का सयन करेंगे।

11.3 मुख्यमंत्री कोविड-19 जन कल्याण योजना मध्यप्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग, कानूननर, मन्दायक, भोपाल में आदेश क्रमांक 1373/2021/50-2, भोपाल, दिनांक 21.06.2021 के अन्तर्गत।

11.3.1 योजना का उद्देश्य (परिशिष्ट 1) -

इस योजना का उद्देश्य बच्चों को करियर एवं पाठ्य सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि वे परिभाषित जीवन निर्वाह करने हेतु अपनी शिक्षा निर्विकल रूप से पूरी कर सकें। यह योजना संपूर्ण मध्यप्रदेश में कल्याण प्रभाव में लागू की गयी है।

11.3.2 परिभाषा (परिशिष्ट 3):-

परिवार में अभिप्राय पति-पत्नी और उन पर अधिकतम बच्चों में है। (परिशिष्ट 3.1) बाल हितसाही में अभिप्राय में बाबत/शानिका जिनकी आय 21 वर्ष या उससे कम है, परंतु खातक में अध्ययनरत रहने की स्थिति में, 24 वर्ष या खातक कार्यक्रम की निर्धारित अवधि तक, इनमें में जो भी कम हो (परिशिष्ट-3.2) और जिनके माता-पिता की कोविड-19 में मृत्यु हुई हो (परिशिष्ट-3.2.1) या माता-पिता का निधन पूर्व में हो गया था तथा उनके वैध अभिभावक की कोविड-19 में मृत्यु हुई हो (परिशिष्ट-3.2.2) या माता-पिता में से एकमात्र एक या पूर्व में निधन हो चुका है तथा अब हमारे की कोविड-19 में मृत्यु हुई हो (परिशिष्ट-3.2.3)

कोविड-19 में मृत्यु का अभिप्राय ऐसा किरी भी मृत्यु में है, जो 1 मार्च, 2021 से 30 जून, 2021 तक अवधि में हुई।

11.3.3 योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि (परिशिष्ट 4) -प्रभावित परिवार मध्यप्रदेश का स्थायी निवासी हो, मुख्यमंत्री कोविड-19 राहत कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं हो, बाल हितसाही के मुक्त माता/पिता ऐसे शामकीय सेक्टर या आनकीय उपक्रम के मालक न हो जिन्हें पुरानी योजना स्कीम के अंतर्गत पेंशन पाने की पात्रता हो।

11.3.4 बाल हितसाही के मुक्त माता/पिता/अभिभावक की कोविड-19 में मृत्यु होने में, वे अनाथ हो गये हैं, की उच्च शिक्षा महारतना निम्नानुसार देख होगी (परिशिष्ट 6.3.2) -

(अ) शामकीय अथवा केन्द्र/राज्य शासन में अनुदानित विश्वविद्यालय / महाविद्यालयों में हितसाहियों की प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क सहित अन्य सामान वार्षिक वार्षिक शुल्क (मैस शुल्क सहित) का लाभ देना होगा।

साथ ही अंतर्गतमें उम्मा कराने में छुट रहेगी। बाल हितसाहियों का प्रवेश निःशुल्क होगा। समस्त शुल्क का समस्त समस्त को प्रतिपूर्ति का कार्य।

(ब) एम. निजी विश्वविद्यालय/अशामकीय महाविद्यालयों में उच्च शुल्क का निर्धारण मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा नियत किया जाता है, उनमें अध्ययनरत होने पर उक्त कटिबक -अ' अनुसार समस्त वार्षिक वार्षिक शुल्क का रूपसे 15,000 जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति बाल हितसाही के आधार लिफ्ट बैंक खाते में की जायेगी।

11.3.5 इस योजना के अंतर्गत पात्र विद्यार्थी जो पूर्व में किसी कार्यक्रम में अध्ययनरत है, उन्हें भी योजना वार्षिक वर्ष का लाभ प्रदान किया जा सकेगा। (परिशिष्ट- 5.3.4)

11.3.6 यह स्पष्ट किया जाता है कि बाल हितसाही की उच्च शिक्षा हेतु किसी कार्यक्रम में प्रवेश पाने पर उस कार्यक्रम के लिए निर्धारित व्ययों के लिए ही शिक्षा प्राप्ति संबंधी लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी। (परिशिष्ट-5.3.5)

11.3.7 शासन की अन्य योजनाओं का लाभ मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना का लाभ, बाल हितसाहियों को शासन की अन्य योजनाओं के अंतर्गत देना लाभ के अनिश्चित होगा किन्तु बाल हितसाही का प्रवेश शुल्क अदि का राहता भुगतान करनी अन्य योजना में नहीं होगा। (परिशिष्ट-8)

11.4. लाइली लक्ष्मी योजना:-

इस योजना के अंतर्गत पाठ्यक्रम छात्राओं को स्नातक एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश देने पर 25,000/- की प्रोत्साहन राशि 02 लक्ष्मी महिलाओं में पाठ्यक्रम के प्रथम एवं अंतिम वर्ष में दी जायेगी। लाइली लक्ष्मी छात्रिकाओं को उच्च शिक्षा हेतु स्नातक स्तर तक की शिक्षण शुल्क भ्रामन द्वारा वहन किया जाएगा।

योजना का उद्देश्य -

- i. मध्यप्रदेश में विमानपान सूचकांक में सुधार लाना।
- ii. कम आय का माता-पिताओं के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच पैदा करना।
- iii. माता-पिता बालिकाओं की शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना।
- iv. माता-पिता को राजस्व-सहायक विभाग का जल्दी-से-सुधार करना।

पात्रता की शर्तें :-

- i. एक जनवरी 2006 अथवा इससे पश्चात जन्मी बालिका।
- ii. मानव-विकास मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों।
- iii. मानव-विकास कार्यक्रम अंतर्गत हों।
- iv. मानव-विकास-जिम्मे 02 वा 02 से कम संतान हों, द्वितीय संतान के जन्म के पश्चात परिवार नियोजन अंतर्गतका यथा ही।

विशेष - उपरोक्त पात्रता शर्तों के अतिरिक्त पात्रता हेतु लाइली लक्ष्मी योजना 2.0 में इलेक्ट्रॉनिक विशेष प्रकरण संबंधी प्रावधान सिद्धमानुसार लागू होंगे।

योजना का लाभ :

- i. लाइली छात्रिकाओं को कक्षा 12 वीं के पश्चात स्नातक अथवा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश करने पर 25,000/- की प्रोत्साहन राशि 02 लक्ष्मी महिलाओं में पाठ्यक्रम के प्रथम एवं अंतिम वर्ष में दी जायेगी।
- ii. लाइली छात्रिकाओं को उच्च शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क भ्रामन द्वारा वहन किया जाएगा।

12 बन-स्टेप-अप योजनान्तर्गत प्रवेश (स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों हेतु) :-

12.1 स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों हेतु बन-स्टेप-अप योजनान्तर्गत प्राथमरी / मिडिल स्कूल शिक्षकों के लिए केवल प्राथमरी महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु नियम व शर्तें म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्र. 244/2782015420/21 दिनांक 18 जून 2015 के अनुसार रहेंगी। इस हेतु साक्ष्य एवं स्नातकोत्तर स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक पाठ्यक्रमों/ विषयों में महाविद्यालय में भीटों के 02 प्रतिशत स्थान उपलब्ध रहेंगे।

12.2 बन-स्टेप-अप योजना के अंतर्गत प्रवेश ऑनलाइन माध्यम से ही होंगे। आवेदकों को ऑनलाइन पोर्टल पर परीयत / इम्तखाने अपलोड/महाविद्यालय/पाठ्यक्रम चयन/ई मत्थापन करना अनिवार्य होगा, आवेदकों को प्रवेश समय शर्तों अनुसार परीयत शुल्क का भुगतान करना होगा। स्कूल शिक्षा विभाग का अनुरोध प्रमाण-पत्र आवेदक को उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार घोषित समय सीमा में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

(NGTE पाठ्यक्रमों पर लागू नहीं)

13. संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया:-

- 13.1 प्राच्य पद्धति के संस्कृत महाविद्यालयों में शाखा स्तर के अध्यापन के कारण संबंधित बोर्ड द्वारा उनके पाठ्यक्रम की संबंधित प्रति जांच हो जो उक्त बोर्ड के प्रवेश नियमों को मान्य किया जा सकेगा। संस्कृत बोर्ड के परिणाम देर में घोषित होने पर 11वीं की अंक सूची के आधार पर परीक्षण कराया जा सकेगा तथा सी. एल.सी. कारण में इन आवेदकों को प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी। उनीपण होने पर प्रवेश नियमित एवं अनुनीपण होने पर प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।
- 13.2 संस्कृत महाविद्यालयों को उनके नई प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन माड्यूल में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित विधियों में दर्ज करनी होगी। इस प्रक्रिया को ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया मागणी अनुसार रिपोर्टिंग के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप में मान्य करना प्रोत्साहित किया जायेगा महाविद्यालयों को आगमन एवं विश्वविद्यालय से आवश्यक अनुमति, निर्धारित तिथि में प्राप्त करना अनिवार्य है तथा महाविद्यालय को प्रोफाईल अद्यतन कर मौपित महाविद्यालय में ऑनलाइन माड्यूल तथा विश्वविद्यालय में ऑनलाइन पुनः मन्वयपन करना अनिवार्य होगा।

14. स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश संबंधी प्रावधान :-

सत्र 2025-27 के आगमन तक महाविद्यालयों के स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में यदि मनाश्रयता में कमी/अभाव है तो प्रवेश हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी :-

- 14.1 सत्र 2025-26 के आगत प्रथम वर्ष में यदि किसी पाठ्यक्रम/विषय समूह में प्रवेश 25 या अधिक संख्या में है नहीं है, तो पाठ्यक्रम में सत्र 2026-27 में प्रवेश दिया जायेगा, अर्थात् 24 या 24 से कम प्रवेशित संख्या वाले पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- 14.2 सत्र 2025-26 के आगत प्रथम सेमेस्टर में यदि किसी विषय में प्रवेश 10 या अधिक संख्या में है नहीं है, तो सत्र 2026-27 में प्रवेश दिया जायेगा, अर्थात् 09 या 09 से कम प्रवेशित संख्या वाले पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- 14.3 सत्र 2026-27 के सभी नवीन पाठ्यक्रमों में प्रथम वर्ष में संख्या का बंधन नहीं रहेगा।

15. प्रावधिक प्रवेश हेतु पात्रता :-

- 15.1 आगत प्रथम वर्ष और आगत वर्ष में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रावधिक प्रवेश देना अनिवार्य है।
- 15.2 आगत वर्ष के प्रवेश हेतु अर्हकरी आगत अंतिम वर्ष / अटकों सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में प्रावधिक प्रवेश हेतु प्रथम एवं द्वितीय वर्ष, प्रथम से चतुर्थ / प्रथम सेमेस्टर तक के प्राप्तांकों का प्रतिशत (4 वर्यीय स्नातक पाठ्यक्रम की स्थिति में क्रमशः तृतीय वर्ष अथवा अठवा / नानवा सेमेस्टर) ऑनलाइन परीक्षण के समय दर्ज करना होगा। मुपातृक्रम का निश्चरण प्रावधिक प्रवेश हेतु दर्ज प्राप्तांकों के आधार पर ही होगा। आगत अंतिम वर्ष में पूरक प्राप्त विद्यार्थी आगत वर्ष प्रथम सेमेस्टर में स्थान रिक्त होने पर प्रावधिक प्रवेश के लिये पात्र होंगे।

- 15.3 महाविद्यालय, आगकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेशित विद्यार्थियों के प्रथम सेमेस्टर में विश्वविद्यालय के परीक्षा फार्म भरने से पूर्व यह सुनिश्चित करने कि प्रावधिक प्रवेशित विद्यार्थी द्वारा नियमानुसार अहंकारी तृतीया पुणे रूप में उत्तीर्ण कर ली गई है। अहंकारी की परीक्षा (स्नातक पाठ्यक्रम) में किसी दो-तीन पर पूरा नहीं होता है। प्रथम विद्यार्थी आगकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा फार्म भरने से अनुप्राप्त नहीं होगा।
- 15.4 प्रावधिक प्रवेश प्राप्त आवेदक आगकोत्तर पाठ्यक्रम में सीट आवंटित होने पर स्वयं के दायित्व/जिम्मेदारी पर प्रवेश लेंगे। स्नातक तृतीय वर्ष / षष्ठम सेमेस्टर (4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम की स्थिति में क्रमशः चतुर्थ वर्ष / आठवां सेमेस्टर) के परीक्षा परिणाम में सुमानुकम में परिवर्तन होने की स्थिति में प्रावधिक विद्यार्थी को महाविद्यालय बदलने का अधिकार नहीं होगा अथवा अनुत्तीर्ण होने की स्थिति में प्रावधिक रूप से प्रवेशित विद्यार्थी नियमित प्रवेश से वंचित हो जाएगा।
- 15.5 स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में पुरक प्राप्त विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के नियमों की पाठ्यता के अनुसार क्रमशः स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

16. प्रवेश नवीनीकरण प्रक्रिया (शासकीय / अनुदान प्राप्त अशासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों हेतु)

प्रवेश के सम्बन्ध शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, चतुर्थ वर्ष एवं आगकोत्तर तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के प्रवेश नवीनीकरण का कार्य संबंधित पाठ्यक्रम के परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिवस की समय सीमा में आगकोत्तर विभागीय सचिव के माध्यम से सम्पादित किया जाएगा।

16.1 स्नातक (चतुर्थ वर्ष) के संबंध में दो विकल्प होंगे-

- स्नातक चतुर्थ वर्ष आगर्स (सभी तृतीय वर्ष उत्तीर्ण विद्यार्थी)
- स्नातक चतुर्थ वर्ष आगर्स विश्व रिमर्च (केवल 7.5 जी.जी.पी.ए. में अधिक अंक अर्जित करने वाले विद्यार्थी पात्र होंगे)
- विद्यार्थी केवल मात्र विषय में ही प्रवेश ले सकेंगे।
- स्नातक चतुर्थ वर्ष आगर्स/आगर्स विश्व रिमर्च में प्रवेश अध्ययनरत महाविद्यालय में ही लिया जा सकता है।
- स्नातक चतुर्थ वर्ष आगर्स/ आगर्स विश्व रिमर्च का विकल्प महाविद्यालय में न मिलने की उष्ठा में जिला अदालत निजल के अन्य महाविद्यालय में प्रवेश ले सकेंगे।
- विद्यार्थी को संबंधित महाविद्यालय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर विकल्प चयन करना होगा।
- महाविद्यालयों द्वारा सत्यापन उपरान्त प्रवेश शुल्क हेतु निक इनिशियेट की जायेगी।
- निक इनिशियेट होने पर विद्यार्थी निर्धारित समय सीमा में प्रवेश शुल्क जमा करेंगे।
- स्नातक तृतीय वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में प्रावधिक प्रवेश दिया जायेगा।

16.2 पूर्व में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु निम्न प्रावधान होंगे:-

स्नातक स्तर हेतु पात्र विद्यार्थियों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष / प्रथम सेमेस्टर में ही ऑनलाइन प्रवेश दिया जायेगा। शेष वर्षों में (द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष) / शेष सेमेस्टर्स में (द्वितीय, पंचम एवं षष्ठम सेमेस्टर) प्रवेश नवीनीकरण प्रक्रिया होगी। यह प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन ही होगी।

16.2.1 वार्षिक प्रणाली में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष उत्तीर्ण/ एक विषय में पूरा प्राप्त विद्यार्थी को आगामी वर्ष में प्रवेश में पात्रता होगी।

16.2.2 सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत तृतीय/पंचम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु पिछले सेमेस्टर में उत्तीर्ण / किमी भी एक सेमेस्टर में दो तथा एक समय में अधिकतम चार विषयों में ए.टी.के.टी. प्राप्त विद्यार्थी को प्रवेश की पात्रता होगी। लेकिन किमी भी एक सेमेस्टर में दो से अधिक प्रश्नपत्रों में ए.टी.के.टी. की प्राप्ति नहीं होगी।

16.2.3 वर्ष 2025-26 में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश किसे वाले विद्यार्थियों पर आर्डिनन्स 14 (1) के प्रावधान लागू होंगे (आर्डिनन्स संख्या 14) तथा पूर्व वर्षों में प्रवेशित विद्यार्थियों पर पुनःसूचार आर्डिनन्स (14) एवं आर्डिनन्स (14 बी) लागू होंगे (आर्डिनन्स संख्या 14)।

16.2.4 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में वर्ष 2025-26 में प्रवेशित विद्यार्थियों पर अध्यादेश 14(2) लागू होगा।

16.3 स्नातकोत्तर स्तर हेतु पात्र विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम सेमेस्टर में ही ऑनलाइन प्रवेश दिया जायेगा। तृतीय सेमेस्टर में ऑनलाइन प्रवेश नवीनीकरण भी प्रक्रिया होगी। तृतीय सेमेस्टर में पिछले सेमेस्टर (प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर) में उत्तीर्ण/ किमी एक सेमेस्टर में दो तथा एक समय में कुल 4 प्रश्नपत्रों में ए.टी.के.टी. प्राप्त विद्यार्थियों को पात्रता होगी। लेकिन किमी भी एक सेमेस्टर में दो से अधिक प्रश्नपत्रों में ए.टी.के.टी. की प्राप्ति नहीं होगी।

16.4 नवीनीकरण शुल्क संबंधी निर्देश नियमानुसार संबंधित महाविद्यालय द्वारा प्रवेश नवीनीकरण हेतु पात्र विद्यार्थियों को ऑनलाइन प्रमोट किया जाएगा। स्नातक/ स्नातकोत्तर स्तर पर विद्यार्थी परवानानुसार 500 / 10 रूपय का ऑनलाइन शुल्क जमा कर प्रवेश प्राप्त करेंगे। 500 से ऊपर शुल्क प्रान पर 3 किश्तों में जमा करना होगा। समस्त शुल्क प्रवेश पोर्टल में जमा होगा।

16.5 वर्ष 2021-22 में लागू मुख्यमंत्री कोविड-19 बाध कल्याण योजना (कण्डिका 11.3) के अन्तर्गत नियमानुसार पात्र विद्यार्थियों को प्रवेश / नवीनीकरण निःशुल्क किया जाता है।

16.6 शासकीय मेचक के स्थानान्तरित होने पर उनके पाल्यों के प्रवेश संबंधी निर्देश-

कंडिका 23.1 (अ) में उल्लेखित शासकीय मेचक के स्थानान्तरित होने पर प्रवेश में वार्षिक/सेमेस्टर प्रदर्शन के अन्तर्गत अद्यतन करने वाले पाल्यों को पाठ्यक्रम के बीच में स्नातक स्तर पर प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु शासकीय मेचक द्वारा कार्यवाही सहण करने का प्रमाण-पत्र तथा आवरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश के लिये आवेदक को संबंधित विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

16.7 स्नातक (प्राइवेट) में नियमित प्रवेश संबंधी प्रावधान:- मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय द्वारा जारी सं. 97/380/सी.सी.14/36, दिनांक 16 फरवरी 2015 अनुसार ऐसे विद्यार्थी जो किसी भी वर्ष में नियमित प्रवेश में शामिल हो पाए हैं, वे विश्वविद्यालय के स्नातक प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष या स्नातकोत्तर प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में स्नातक स्तर पर द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में सम्मिलित हो सकते हैं तथा परीक्षा उत्तरान्त विश्वविद्यालय में संबंधित किसी भी महाविद्यालय में संबंधित कोर्स / विषय में स्थान रिक्त होने पर पात्रताानुसार स्नातक स्तर पर द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में तथा तृतीय/पंचम/षष्ठम सेमेस्टर में एवं स्नातकोत्तर स्तर पर (विज्ञान व प्रायोगिक विषयों को छोड़कर) तृतीय सेमेस्टर में नियमित प्रवेश कर सकते हैं।

16.7.1 राज्य शासन के आदेश सं. 1615/1929/2018/36-2, दिनांक 19.12.2018 के तहत प्राप्त नया नियमित / असंस्थागत विद्यार्थी जिन्होंने प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है वह सत्र 2026-27 में वार्षिक पद्धति के अंतर्गत स्नातक द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश ले सकते हैं तथा ऐसे सभी असंस्थागत विद्यार्थी जो सत्र 2025-26 की स्नातक स्तर की प्रथम / द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे वे विद्यार्थी सत्र 2026-27 में स्नातक स्तर के द्वितीय/तृतीय वर्ष में स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश ले सकते हैं।

16.8 परीक्षा में (Ex-Student) में नियमित प्रवेश संबंधी निर्देश दिए गए विद्यार्थियों को पूर्व प्रवेश की प्रणाली में स्नातक स्तर पर अग्रणी सेमेस्टर (वर्क) की मुख्य परीक्षाओं में सम्मिलित होगा। उत्तीर्ण होने की वृत्ति में जुलाई माह से पार्थक्य होने वाले सत्र में स्थान रिक्त होने पर नियमानुसार शुल्क जमा करने पर नियमित प्रवेश दिया जाएगा।

16.9 पूर्व विद्यार्थी (Ex-Student) के प्रवेश की स्थिति निर्मित होने पर महाविद्यालय में स्थान रिक्त न होने के कारण स्नातकोत्तर स्तर पर उच्च शिक्षा विभाग (सीए) वृद्धि की अनुमति प्राप्त कर नियमानुसार प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकती है।

16.10 महाविद्यालय स्तर पर गैरनामित मर्टिफिकेट कोर्स चलाने की प्रक्रिया:-

महाविद्यालय स्तर पर संचालित छः माह के मर्टिफिकेट कोर्स में संस्था में प्रवेशित नियमित विद्यार्थी ही प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे विद्यार्थियों की आवश्यकता महाविद्यालय स्तर में मर्टिफिकेट कोर्सवार ऑनलाइन पोर्टल पर प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने के 30 दिनों की समयवधि में अद्यतन करना अनिवार्य होगा।

17. स्नातक कक्षाओं में ए.टी. के. टी/पूरक से संबंधित प्रवेश नियम

यह स मन्तव्यित प्रावधानों के तहत प्रावधान होगा :-

17.1. सेमेस्टर के अंत में संबंधित सेमेस्टर की सभी सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक (जहाँ लागू हो) विषयों में ए.टी.के.टी. प्राप्त आवेदकों की परीक्षा होगी। वार्षिक पद्धति में परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात् मात्र के दौरान एक विषय सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक (जहाँ लागू हो) में पूरक प्राप्त आवेदकों की परीक्षा होगी।

- 17.2 वार्षिक पद्धति में एक विषय में अनुत्तीर्ण / अनुपस्थित होने पर विद्यार्थी को पुनः की पात्रता होगी तथा पुनः प्राप्त आवेदकों को विश्वविद्यालय के नियमानुसार अगले वर्ष में प्राथमिक प्रवेश की पात्रता होगी। पुनः परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर प्राथमिक प्रवेश निरस्त माना जावेगा।
- 17.3 सेमेस्टर पद्धति में विद्यार्थी एक समय में चार ए.टी.के.टी. के साथ अगले सेमेस्टर में प्रवेश पा सकेगा, लेकिन किसी भी एक सेमेस्टर में दो से अधिक विषयों में ए.टी.के.टी. की पात्रता नहीं होगी।
- 17.4 स्नातक पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि के संबंध में म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के पत्र क्र. 1868/198/सीसी/17/38, दिनांक 9.10.2017 के प्रावधान लागू होंगे।
- 17.5 विशेष परिस्थतियों का पर्याय आरक्षण, उच्च शिक्षा के पत्र क्रमांक 1204/387/आठथि/आ-5/अ/2012 संसाधन, दिनांक 22 फरवरी 2012 के अनुसार शिक्षा/संसाधन/राज्य/राष्ट्रीय स्तर के खेलकुद / कला-संस्कृति (युवा उत्साह) / एन.सी.सी./एन.एस.एम./ स्काउट एवं रेडक्रॉस सोसायटी के क्षेत्र में यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा के दौरान किसी प्रतियोगिता आदि में शामिल होते हैं तो एसी स्थिति में प्राचार्य के प्रमाणित करने पर उन विद्यार्थियों की परीक्षाएँ उसी सत्र में परीक्षा समिति के 10 दिवस में संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा समस्त सागणी जारी कर, आयोजित की जायेगी और उनके परीक्षा परिणाम अन्य परीक्षाओं के साथ ही जारी किये जायेंगे।

18. स्नातकोत्तर कक्षाओं में ए.टी.के.टी. से संबंधित प्रवेश नियम:-

- 18.1 सेमेस्टर के अंत में निर्धारित सभी वैधानिक एवं प्रायोगिक (जहाँ लागू हो) प्रश्न पत्रों की परीक्षा होगी।
- 18.2 दो प्रश्न पत्रों में (वैधानिक एवं प्रायोगिक जहाँ लागू है) अनुत्तीर्ण / अनुपस्थित होने पर विद्यार्थी को ए.टी.के.टी. की पात्रता होगी, अतः विद्यार्थी को अगले सेमेस्टर में स्वतः प्रवेश मिल सकेगा।
- 18.3 विद्यार्थी एक समय में चार ए.टी.के.टी. के साथ अगले सेमेस्टर में प्रवेश पा सकेगा, लेकिन किसी भी एक सेमेस्टर में दो से अधिक प्रश्नपत्रों में ए.टी.के.टी. की पात्रता नहीं होगी।
- 18.4 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि के संबंध में म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के पत्र क्र. 1868/198/सीसी/17/38, दिनांक 9.10.2017 के प्रावधान लागू होंगे।

19. प्रवेश सीट संख्या का निर्धारण:-

- 19.1 समस्त सामंतीय महाविद्यालयों में सीट संख्या का निर्धारण उपलब्ध अधीनस्थता तथा शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात को दृष्टिगत रखते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य, जनभागीदारी समिति से सक्षम अनुमोदन प्राप्त कर कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
- 19.2 शासकीय महाविद्यालयों में कक्षा/विषयवार सीट संख्या का निर्धारण संबंधित महाविद्यालय द्वारा किया जायेगा। प्रवेश प्रक्रिया के मध्य सीट वृद्धि की अनुमति नहीं होगी।

- 19.3 अनुदान प्राप्त अशासकीय/ निजी अशासकीय महाविद्यालय संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा मर्जीकृत मीट संख्या अनुसार प्रवेश नियमों के अन्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होंगे।
- 19.4 इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- 19.5 उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में निर्धारित तिथियों में सम्बन्धित महाविद्यालय संख्या के अनुसार राज्य के अशासकीय के पाठ्यक्रम विषय समूह निर्धारित मीट संख्या एवं पाठ्यक्रमवार/समयवार प्रवेश शुल्क (संबन्धित विश्वविद्यालय के सामान्य शुल्क सहित) एवं नवीनीकरण की पृथक-पृथक विस्तृत जानकारी के साथ महाविद्यालय का बैंक खाता क्रमांक, आई.एफ.एस.डी. कोड आदि की जानकारी अनिवार्य रूप से ऑनलाइन विभागीय पोर्टल पर अपलोड/अद्यतन कर लीजें।
- 19.6 महाविद्यालय बैंक खाता क्रमांक की प्रतिलिपि मायधानी पूर्वक दजे करना सुनिश्चित करेंगे इसके साथ ही बैंक खाता का प्रारंभिक पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। इसी बैंक खाते में महाविद्यालयों को प्रवेशित विद्यार्थियों से संबंधित प्रवेश शुल्क की राशि अन्तर्गत की जाएगी।
- 19.7 प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत नवीन मंत्र में मीट संख्या का निर्धारण करने समय शासकीय महाविद्यालयों में का कार्य के अन्तर्गत अशासकीय स्तर के पाठ्यक्रम/विषय समूह में प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या को राष्ट्रपत्र द्वारा जारी मीट संख्या निर्धारित की जाएगी।

20. समकक्ष बोर्ड संबंधी प्रवेश नियम

- 20.1 मन्ट्रन बोर्ड ऑफ मैकेनिकी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.) / इण्डियन सर्टिफिकेट ऑफ मैकेनिकी एजुकेशन (आई. सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है।
- 20.2 उच्च शिक्षा विभाग की ई-प्रवेश प्रक्रिया के पोर्टल में सम्बद्ध होने के लिए देश के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड की मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल से समकक्षता प्रमाण पत्र प्राप्त कर, उच्च शिक्षा विभाग को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, तत्पश्चात् ही एम बोर्ड ऑनलाइन विभागीय पोर्टल पर मन्त्र्य मंत्री में प्रदर्शित होंगे, ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल पर प्रदर्शित बोर्ड में उन्निर्ण विद्यार्थी प्रवेश हेतु पंजीयन कर ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे।
- 20.3 बिदेसी बोर्ड से अर्हकारी 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदक ने यदि मध्य प्रदेश के शासकीय/अशासकीय / अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में आक प्रथम वर्ष में पंजीयन करवाया है ऐसी स्थिति में आवेदक को केन्द्र सरकार सई दिल्ली द्वारा जारी समकक्षता प्रमाण पत्र अपलोड करने पर पात्रता अनुसार ई-प्रवेश प्रक्रिया में शामिल किया जा सकेगा।
- 20.4 मान्यता प्राप्त में निर्णय विश्वविद्यालय को भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एग्रेसिविथन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज) के सदस्य हैं, की सम्बन्ध परीक्षाएं राज्य के विश्वविद्यालयों की परीक्षा के समकक्ष मान्य होगी।

20.5 मनीषन विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता विहीन महाविद्यालय या शिक्षण मन्व्याओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता-विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की परीक्षा उपाधि मान्य नहीं होगी।

20.6 माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में विज्ञान में मिलने जूने विषय, जैसे सेवॉररी, मोडर्न मेन्डमेट एवं विद्युत प्लास्मिड, क्वीनिकल ऑर्गेनिस्म, माइक्रोबायोलॉजी एवं मेनब्राने ट्रांसपोर्ट तथा कांफ्यूटिंग में संबंधित विषय और डिजिटल ऑफ डेटा प्रोग्रामिंग, मेनडमेट एवं एम.ए. एम.एस.ए.ए. में वि.पी. विगत प्रोग्रामिंग, कम्प्यूटर पैकिंग आदि सम्मिलित हैं। उपरोक्त विषयों के साथ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रम 10+2 के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में पाठ्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद ही संबंधित मंत्रालय में प्रवेश दिया जा सकेगा। ऑनलाइन परीक्षा के समय संबंधित विश्वविद्यालय में पाठ्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन की पाठ्यता अपलोड करना आवश्यक होगा। किमी की पाठ्यता में प्रवेश देने के लिए पाठ्यता संबंधी निर्धारण में संदेह होने पर संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी पाठ्यता प्रमाण-पत्र का खतिय माना जायेगा। विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित पाठ्यतानुसार प्रवेश के समय आवेदक की पाठ्यता के परीक्षण का संपूर्ण दायित्व संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य का होगा। आवेदन का वापस ले पर फर्सापि नहीं होगा कि आवेदक प्रवेश की पाठ्यता पूर्ण करता है।

20.7 मध्यप्रदेश संस्कृत बोर्ड की 'उत्तर मध्यमा परीक्षा को हायर सेकेंडरी परीक्षा के समकक्ष माना जाये।

21. सामान्य पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश की पाठ्यता:-

(सामान्य पाठ्यक्रमों के लिए जागू, NCTE पाठ्यक्रमों को छोड़कर)

21.1 निचामी एवं अर्हकारी परीक्षा

(अ) मध्यप्रदेश के स्थानीय निचामी, मध्यप्रदेश में स्थायी सामन्तिधारी निचामी, राज्य या केन्द्र सरकार के प्राथकीय संस्कार, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संस्थानों के धर्मकारी शिक्षा पदांकन मध्यप्रदेश में हो, उनके पाल्यों एवं जम्मू कश्मीर के विद्यार्थियों तथा उनके आश्रितों/भ्रातृ के विद्यार्थियों को महाविद्यालयों में प्रवेश की पाठ्यता होगी।

(ब) प्रगतानुसार प्रवेश के पदानु स्थान रिक्त होने की दशा में अन्य स्थानों के बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उन्नीय विद्यार्थियों को नियमानुसार पुनानुक्रम के अधिन पर विश्वविद्यालयों की पाठ्यता अनुसार प्रवेश दिया जा सकेगा।

(ग) संबंधित विश्वविद्यालय या उम विश्वविद्यालय / बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों/महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालयों में प्रवेश की पाठ्यता होगी।

(घ) जम्मू कश्मीर और जेद्दह के विस्थापितों एवं उनके पाल्य / पाल्या के लिये निम्न प्रवधान जागू होंगे:-
 1. प्रवेश की अन्तिम तिथि में अधिकतम 30 दिन की छुट।
 2. छुट में प्रवेश प्राप्तता में अधिनतम 10 प्रतिशत की छुट, अगर आवेदक पाठ्यता की अन्य शर्तें पूरी करता है। (बिधि पाठ्यक्रमों को छोड़कर)

3. उपरोक्त स्थानों में पाठ्यक्रमवार 5 प्रतिशत की वृद्धि।
4. स्नातकोत्तर विद्यार्थी होने की अनिवार्यता में पूर्ण छूट।
5. द्वितीय और आगे वाले वर्षों में आब्रजन की गृविधा।
6. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में मेरिट के आधार पर एक प्रतिशत का आरक्षण।

(य) प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जम्मु कश्मीर के आर्थिक रूप में कमजोर विद्यार्थियों के लिए महाविद्यालयों में दो अधिसंख्य सीटों का सृजन कर प्रवेश दिये जाने का प्रावधान है। उक्त विद्यार्थियों को सीट आवंटन के बाद प्रवेश देने के पुरे नम्बर्द विश्वविद्यालय अर्थात् पाठ्यता मुनिश्चिन करने का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित महाविद्यालय का होगा। उक्त प्रवेशित विद्यार्थी की जानकारी विनियोजक पोस्टर पर उपरोक्त माहसूल में दर्ज करने का दायित्व भी संबंधित महाविद्यालय का होगा।

22. विशेष प्रकरण संबंधी प्रवेश हेतु पात्रता/अपात्रता :-

- 22.1 किसी भी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों को (विधि संकाय को छोड़कर) अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं है।
- 22.2 महाविद्यालय में वाइस-चैंसलर करने या महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने क प्रमाणित सीपी और मेरिट के प्रमाणित जमागी विद्यार्थियों को भी प्राचार्य प्रवेश देने के लिये अशुक्ल नहीं है। मेरिट के नक्ले से युजी. सी. के जापन क्र. एक-1-18/2007 (सी.पी.सी.।।) अप्रैल 2009 के सम्बन्धी निर्देशों का पालन अनिवार्य है। इस संबंध में विभाग द्वारा जारी पत्र क्र. 829/469/आउशि/था-1/08 दिनांक 18 जून 2008 के अनुसार जारी टारगेट पाँलिगी लागू रहेगी।
- 22.3 ट्रांसजेटर को केवल सह-शिक्षा महाविद्यालय में ही प्रवेश दिया जावेगा।
- 22.4 पत्रकारिक आगकीष / अजागकीष सचरन कर्मचारी को इसकी दैनिक कृत्य की अवधि में लगे जाने महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं है। लेकिन दैनिक कर्मच्य अवधि के उपरांत लगे जाने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदन द्वारा नियोजन का अनारपति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जा सकेगा।

23. बाह्य राज्य के आवेदकों हेतु प्रवेश नियम :-

- 23.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी. कॉम./बी.एससी./बी.एल.सी. (गृह-विज्ञान) में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालय ने अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनसे वर्गमेमेटर में प्रवेश की पात्रता है, चितु नम्बर्दित विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालय में लगे जा रहे विषयों/विषय-समूहों में आवेदकों ने निश्चली परीक्षा ही ही में संबंधित परीक्षण के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा।
- 23.2 मध्यप्रदेश राज्य के बाहर स्थित यु.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/ स्वशासी महाविद्यालयों में स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष अथवा द्वितीय / चतुर्थ/पाठ्यम मेमेटर परीक्षा, राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों/ स्वशासी महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर की प्रथम एवं द्वितीय मेमेटर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा संबंधित विश्वविद्यालयों में पात्रता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के बाद इन्ही विषय / विषयों/विषय-समूह की अवली कक्षा में स्थान मिल जाने की स्थिति में नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा।

- 23.3 राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देना होगा। शपथ-पत्र में फर्जी, फिरी की तरह की पूर्वावलोकन जानकारी पाये जाने की दशा में संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निगमन करण हुए उसे प्रदेश के विद्यापीठ विश्वविद्यालय में आसामी नीत बर्य तक प्रवेश नै वैचित कर दिया जासगा।
- 23.4 राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को प्रवेश के पूर्व, प्राचार्यों द्वारा संबंधित राज्यों एवं स्थानीय आरक्षी केन्द्रों के माध्यम से पूर्णतः सत्यापन कराना अनिवार्य है।
- 23.5 केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थाओं में मध्यप्रदेश के विद्यार्थियों के लिए 80 प्रतिशत तथा अन्य राज्यों के विद्यार्थियों हेतु 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखने की व्यवस्था लागू रहेगी।
- 23.6 महाविद्यालय में प्रवेश के उच्छेक विद्यार्थियों द्वारा एवं से अध्ययनरत संस्था के प्राचार्य द्वारा जारी परिपत्र प्रकाशित प्रस्ताविका का प्रस्ताव प्रेषित है।

24. आरक्षण (NCTE पाठ्यक्रमों को छोड़कर) :-

मध्यप्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप आरक्षण निम्नानुसार होगा-

- 24.1 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार यदि अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी/ओपन प्रतिस्पर्धा में निवृत्तानुसार स्थिति पूर्वी में जाता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें अप्रभावित रहेगी। परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी अन्य संस्था जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का है तो संबंधित संस्था की सीटें इस आशय आरक्षित श्रेणी में खरी मानी जावेगी। संबंधित विशिष्ट नवर्ग की शेष सीटें पात्रानुसार खरी जावेगी।
- 24.2 अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के लिए क्रमशः 16 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। इन दोनों वर्गों के स्थान आगम में परिवर्तनीय होंगे।
- 24.3 पिछड़े वर्ग (श्रीमती नेवर छोड़कर) के आवेदकों के लिए 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। (मध्यप्रदेश शासन क्रमांक 349 प्रशासन विभाग 14.08.2019 में प्रकाशित संशोधन क्रमांक 13581-227-2019 का अंश) अथवा दिनांक 13.08.2019 द्वारा संबंधित प्रदेश पर बाधिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 5901/2019 के अंतर्गत मंत्रालय उच्च स्वायत्तय द्वारा पारित निर्णय के अर्धीन लागू किया जावेगा।
- 24.4 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों एवं पौत्र/पौत्रियों/नवविधो/नानिनों, भारतीय सेना में कर्तव्य के दौरान वीरगति को प्राप्त अथवा स्थाई रूप में निःशक्त हुए सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों एवं पुत्रपुत्र तथा कार्यरत सेना के कर्मियों (Defence personnel) के आश्रितों/मन्त्रुन आसें पूर्णतः क्षेत्रों के वृत्तों के लिए तथा इन वर्गों के दिवंगत श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 05 प्रतिशत स्थान आरक्षित रूप जावेगा। इसमें मध्ययुद्ध दिवंगत श्रेणी के आवेदकों को प्रामाणिकों के 10 प्रतिशत अंकों का अतिभार देकर, तीन वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जाए, परन्तु यह आरक्षण संबंधित नवर्ग के लिए आरक्षित स्थानों में ही उपलब्ध कराया जाएगा। भारतीय सशस्त्र सेना के कर्मियों/अधिकारियों का प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार रहेगा -

1. युद्ध के दौरान शहीद की विधवा एवं उनके आश्रित।

2. युद्ध के दौरान स्थायी रूप से अंग, कार्यरत मैमिकों एवं उनके आश्रित।
 3. शान्ति के दौरान सेवाकाल में शहीद के आश्रित।
 4. शान्ति के दौरान सेवाकाल में स्थायी रूप से निःशतलजन तथा उसके आश्रित।
 5. परमवीर चक्र, अयोध चक्र, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, उन्नय सेवा मेडल, वीर चक्र, शौर्य चक्र, युद्ध सेवा मेडल सेना/सीमा/ वायु सेवा मेडल पत्रों में उल्लिखित मेडल से सम्मानित सेवारत अथवा पूर्व मैमिकों के आश्रित।
 6. राष्ट्रपति का वीरता हेतु पुलिस मेडल।
 7. भूतपूर्व मैमिकों के आश्रित।
 8. कार्यरत मैमिकों के आश्रित।
- 24.5 दिव्यांग शर्तों के आवेदकों के लिये 5 प्रतिशत स्थान आरक्षण रखे जायेंगे परन्तु यह आरक्षण संरक्षित शर्तों के लिये आरक्षण स्थान से ही उपलब्ध कराया जायेगा। दिव्यांगों को प्रवेश के समय अहंतादायी शर्तों में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। दिव्यांग आवेदकों को जिन्ना मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदान निर्धारित प्रमाण में जारी प्रमाण पत्र (जिनमें 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता का उल्लेख हो) पंजीयन के समय अपलोड करने पर इस श्रेणी का लाभ लिया जा सकेगा।
- 24.6 आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों का शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-07-11/2019/आ.प्र./एफ, भोपाल दिनांक 02 जुलाई 2019 एवं आयुक्त उच्च शिक्षा के पत्र क्रमांक 444/243/आ.उशि/शा.-5/अ/2019 भोपाल दिनांक 15 जुलाई 2019 के अनुक्रम में दिया जायेगा। पंजीयन के समय ई-डब्लू एम. प्रमाण पत्र अपलोड करने पर इस श्रेणी का लाभ लिया जा सकेगा।
- 24.7 एन.सी.सी. "सी" प्रमाण पत्र उत्तीर्ण आवेदकों के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर महाविद्यालय में स्वीकृत स्थान का 01 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगा।
- 24.8 सभी शर्तों में उपलब्ध स्थानों में 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।
- 24.9 महारथदेश आसन, उच्च शिक्षा विभाग तथा अधीनस्थ प्रांतीय कार्यालय/विश्वविद्यालय, आयुक्त पर्यायतन उच्च शिक्षा में नियमित कार्यरत/सेवानिवृत्त/दिवंगत अधिकारियों एवं कर्मचारियों, प्राध्यापकों, सहायकों, क्रीडा अधिकारियों, रजिस्ट्रारों एवं प्रांतीय महाविद्यालयों में कार्यरत नर्सों एवं पार्श्व श्रेणी के कार्यवाहियों के पत्नियों के लिए सभी सम्बन्धित शर्तों में उपलब्ध स्थानों में से 5 प्रतिशत स्थान आरक्षण रखे जायेंगे।
- 24.10 आरक्षण स्थान का प्रतिशत यदि आधे से कम आता है तो उसी श्रेणी में आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा। आधे से एक प्रतिशत के बीच आने पर ही आरक्षित स्थान की संख्या एक मानी जायेगी।

OL

24.11 अल्पसंख्यक वर्गों प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवेश अल्पसंख्यक संस्थाओं में प्रवेश प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन माध्यम से संचालित होगी। अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु परीक्षण, आवंटन एवं प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु पोर्टल पर पृथक से उपलब्ध लिंक के माध्यम से संचालित होगी। सभी अल्पसंख्यक संस्थाओं की उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपनी संस्था को रजिस्टर करना होगा एवं उक्त संस्थाओं में सम्बंधित विद्यार्थियों के संचालित पाठ्यक्रमों विषयों, उनकी सीट संख्या, कुल सीटों की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करना होगा एवं इन पाठ्यक्रमों का सत्यापन सम्बंधित विश्वविद्यालय से निर्धारित तिथि तक करवाना होगा। अल्पसंख्यक संस्थाओं में प्रवेश हेतु आवंटन की प्रक्रिया 01:01 (अल्पसंख्यक श्रेणी; गैर अल्पसंख्यक श्रेणी) के अनुपात में की जावेगी।

24.12 कठिका 6.4 अनुसार सी.एन.सी. चरण में मध्य सारणी अनुसार पूर्व में वर्गीकृत आरक्षित श्रेणी के (आवेदक, उपलब्ध न होने पर) रिक्त स्थान अकारक्षित (सामान्य) श्रेणी के आवेदकों हेतु परिवर्तित किये जायेंगे।

24.13 संस्था समूह पर आनन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जायगा।

24.14 परम पाठ्यक्रमों के अभाव में प्रवेश लिखित परीक्षा के माध्यम से दिया जाना उल्लेखित हो, परंतु आवेदकों को पोर्टल पर पंजीयन कराते हुए संबद्धित संस्था एवं पाठ्यक्रम हेतु चरियता दर्ज करना होगा। संबद्धित संस्था पंजीकृत आवेदकों की प्रवेश परीक्षा आयोजित कर नियमानुसार प्रवेश देगी तथा प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी पोर्टल पर अनिवार्यतः दर्ज करेगी।

24.(B) आरक्षण (NCTE पाठ्यक्रमों हेतु) :-

संस्थाओं में उपलब्ध सीट संख्याओं का विभाजन-

(क) मध्यप्रदेश में संचालित होने वाले राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से वित्तियमित पाठ्यक्रमों बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड., एम.पी.एड. (दो वर्षीय), बी.एड., एम.एड., (एकीकृत तीन वर्षीय) ITEP एवं बीएलएड (एकीकृत चार वर्षीय) तथा बी.एड. (अंशकालीन-तीन वर्षीय) आदि।
पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु स्थानों का विभाजन निम्नानुसार होगा :-

1. मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी
2. अन्य भारतीय राज्यों के अभ्यर्थी

(ख) माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर की दखलानी 5436/2016 से प्राप्त आदेश दिनांक 28.08.2016 के अनुसार अल्पसंख्यक संस्थाओं में प्रवेश प्रक्रिया संपन्न की जावेगी। अल्पसंख्यक संस्थाओं में ऑनलाइन वाउचरिंग के प्रथम एवं द्वितीय चरण में 50 प्रतिशत अल्पसंख्यक विद्यार्थियों तथा 50 प्रतिशत गैर अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को क्रमशः 01:01 के अनुपात में प्रवेश दिया जायेगा, द्वितीय चरण के उपरान्त यदि संस्था में कुल स्वीकृत सीट संख्या में 50 प्रतिशत तक अल्पसंख्यक आवेदकों से पूर्ण नहीं होती है तो, तृतीय चरण को अनिवार्यतः वाउचरिंग हेतु सीटें रिक्त बचने पर शेष रिक्त सीटों की पूर्ण गुणानुक्रम के आधार पर की जावेगी।

- (ग) महिला महाविद्यालयों में पुरुष आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं है। ऐसे महाविद्यालय परीचय प्रक्रिया प्रथम श्रेणी के पूर्व यह निर्दिष्टित करें कि अंततः इन जगहों मान्यता एवं मान्यता प्राप्त सुभी में इन। काम व समस्त महिला महाविद्यालय दर्ज है।
- (घ) मध्यप्रदेश के भूत निवासियों के लिए आरक्षित 75 प्रतिशत एवं बाहरी राज्यों हेतु उपलब्ध 25 प्रतिशत स्थानों में वे विभिन्न श्रेणियों के लिए स्थानों का आरक्षण प्रतिशत निम्नानुसार होगा:-

क्र.सं.	श्रेणी	मध्यप्रदेश के मूल निवासी	बाह्य राज्य के निवासी
1	अनुसूचित जाति	16 प्रतिशत	15 प्रतिशत
2	अनुसूचित जनजाति	20 प्रतिशत	7.5 प्रतिशत
3	अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर को छोड़कर)	14 प्रतिशत	14 प्रतिशत
4	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (क्रीमी लेयर को छोड़कर)	10 प्रतिशत	10 प्रतिशत

नोट:

मध्यप्रदेश के राजपत्र क्रमांक 349 भागाल दिनांक 14.08.2019 में प्रकाशित संशोधन क्रमांक 13681-227-श्रीमती अ (प्र.) अधि. दिनांक 13.08.2019 के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में संशोधन किया गया। यह परिणाम क्रमांक 8301/2019 द्वारा गृह्य अधिना एवं विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा दिनांक 19.03.2019 को पारित आदेश के परिपेक्ष्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण प्रतिशत की सीमा को 14 प्रतिशत ही रखा गया है। इस संबंध में माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार इसे परिवर्तित किया जा सकेगा।

ब- मध्यप्रदेश राज्य के सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों में विभिन्न श्रेणियों का आरक्षण निम्नानुसार होगा:-

1. वैशेषिक श्रेणियों के प्रत्याशियों के लिये 03 प्रतिशत।
2. महात्मा गान्धी जयन्ती के पूर्व पुरुषों एवं पौत्र/पौत्रियों/सुपुत्रियों/सुपुत्रियों के लिये 03 प्रतिशत।
3. विद्यालय प्रत्याशियों के लिये 05 प्रतिशत।
4. विद्यार्थी/पुस्तकालय के लिये 01 प्रतिशत।

1. महिलाओं के लिये आरक्षण शतमान के नियमानुसार 30 प्रतिशत क्षैतिज (Horizontal) है। कुल स्थानों में 30 प्रतिशत सीटों पर महिलाओं को उनकी मेरिट (योग्यता क्रम) के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।

II. गैरनिचल वर्गों (एआर) कक्षा स्थानों के तीन प्रतिशत सीटें क्षैतिजीय आरक्षण (Horizontal Reservation) के अंतर्गत गैरनिचल वर्गों के अंतर्गत पुत्र, पुत्रियाँ या पत्नियों के लिये आरक्षित होंगी। गैरनिचल वर्गों में ग्लास कमर्चारी वर्ग के अंतर्गत भी भूतपूर्व गैरनिचल, कार्यरत तथा कर्मचारी तथा ऐसे तथा कर्मचारी जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो चुकी हो या जो सेवा के दौरान स्थाई रूप से विकलांग हो गये हों, आते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु दावा करने वाले उम्मीदवार को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित भूतपूर्व गैरनिचल या पुत्र/पुत्री है। भूतपूर्व गैरनिचल से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो भारत सरकार के तथा मन्त्रालय द्वारा जारी की गई, भूतपूर्व गैरनिचल की परिभाषा के अंतर्गत आता है। भूतपूर्व गैरनिचल के अर्थ में फलस्वरूप प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को अपने पिता/माता का भूतपूर्व गैरनिचल संबंधी प्रमाण-पत्र तथा अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण पत्र संबंधित जिले के जिला गैरनिचल कल्याण अधिकारी (पूर्व पदनाम सचिव जिला गैरनिचल बोर्ड) से प्राप्त कर प्रस्तुत करने होंगे।

अथवा

मध्यप्रदेश के बाहर पदस्थ ऐसे तथा कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री, जो मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी है। ऐसे उम्मीदवार को अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी होने संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अथवा

पदस्थ तथा कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री, जो मध्यप्रदेश में प्रवेश की तिथि से प्रवेश की तिथि तक मध्यप्रदेश में पदस्थ तथा कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री है।

टिप्पणी: गैरनिचल वर्गों के अंतर्गत किसी उम्मीदवार की पात्रता के संबंध में किसी संदेह अथवा विवाद की स्थिति में मन्त्रालय, गैरनिचल कल्याण, मध्यप्रदेश द्वारा प्रदत्त निर्णय अंतिम होगा।

III. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग (F.F.) -

पुत्र/पुत्री के तीन प्रतिशत स्थान क्षैतिजीय आरक्षण (Horizontal Reservation) के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग में स्वतंत्रता सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों एवं पौत्र/पौत्रियों/नातियों/नातियों को भी प्रवेश की पात्रता होगी जो मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी होने की शर्त भी पूर्ण करते हैं। इस नियम के अंतर्गत के लिये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से तात्पर्य यह है कि उसका नाम मध्यप्रदेश के संबंधित जिले की कलेक्टर में रखी हुई सूची में पंजीकृत है।

टिप्पणी: स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्गों के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवार को संबंधित जिले के कलेक्टर ने निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। केवल कलेक्टर या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र ही किसी उम्मीदवार के इस वर्ग का होने संबंधी एक मात्र वैध प्रमाण पत्र होगा।

IV. निश्चल वर्ग (विकलांग) कक्षा स्थानों का पात्र प्रतिशत क्षैतिजीय आरक्षण (Horizontal Reservation)

निश्चल वर्ग (विकलांग) के लिए उपलब्ध रहेगा। इस वर्ग में भ्रूण के निर्माणानुसार आरक्षण हेतु क्षैतिजाधिन, ध्रुवण बाधित एवं अस्थिबाधित आवेदकों को पात्रता होगी। इस वर्गों के अर्थ में विकलांगता के अर्थ में प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को विकलांगता संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

V. विधवा/परिव्यक्ता: इस वर्गों का दावा करने पर महिला प्रत्याशी को प्रवेश के समय मक्षग अधिकारी

द्वारा जारी गैरनिचल संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें स्पष्ट हो कि प्रत्याशी विधवा /

- परिचयिता महिला है: कुल 30 प्रतिशत महिला स्थानों के लिये आरक्षित स्थानों के अंतर्गत एक प्रतिशत स्थान विधवा/परिव्यक्तार्थी के लिए आरक्षित है।
- VI. यदि आरक्षण प्राप्त करने पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संबन्धित विभी योजना के अंतर्गत कस्यप्रदेश में व्यवस्थापित किया गया है तो इस सर्वे के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- VII. सर्वेक्षण जारी या प्रत्येक वर्षीय/वैकल्पिक प्रत्येक अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को लाभ मिल सकेगा। बाह्य राज्य के आवेदकों के आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र संलग्न प्रारूप अनुसार होने पर ही मान्य होगी। (न्यूनतम प्रमाण पत्र प्रारूप 7 एवं 8)
- VIII. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही संबंधित वर्ग / सर्वे का लाभ देय होगा।
- IX. तृतीय चरण में बाह्य राज्यों के आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की संबंधित महाविद्यालय की वरीयता न होने पर बाह्य राज्यों के सामान्य वर्ग के आवेदकों को वरीयता एवं गुणानुक्रम के आधार पर स्थान आवंटित किया जाएगा।
- X. नृतीय चरण में बाह्य राज्यों के सामान्य वर्ग के आवेदकों की भी संबंधित महाविद्यालय की वरीयता न होने पर बाह्य राज्य के आवेदकों को स्थान आवंटित किया जाएगा।
- XI. अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए आरक्षित स्थान यदि रिक्त रह जायें तो वे अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों में भरे जायेंगे। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थान रिक्त रहने पर अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों में भरे जा सकेंगे। उपरोक्त आरक्षित स्थानों के लिए संबंधित महाविद्यालयों में आरक्षण आवेदकों की वरीयता नहीं होने पर नृतीय चरण में रिक्त रह गये स्थानों पर अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के लिए पर स्थान आवंटित किया जाएगा।

25. अधिभार :-

अधिभार हेतु प्रमाण पत्र संबंधी :-

- (अ) छात्रक प्रथम वर्ग में प्रवेश के लिये अधिभार हेतु आवेदक सफल स्तर पर विगत तीन क्रमिक गत्र (अर्थात् गत्र 2021-22 के पूर्व के मान्य नहीं होंगे) तक के प्रमाण पत्र ही पंजीयन के समय अपलोड कर सकेगा।
- (ब) छात्रकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में अधिभार हेतु छात्रक स्तर में आवेदक के विगत तीन क्रमिक गत्र (अर्थात् गत्र 2022-23 के पूर्व के मान्य नहीं होंगे) तक के प्रमाण पत्र ही पंजीयन के समय अपलोड कर सकेगा।
- (ग) अधिभार गुणानुक्रम निर्धारण के लिए प्रदान किया जायेगा। पात्रता हेतु इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। अद्वैतरी परीक्षा के प्राप्तियों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार के लिये सभी आवश्यक प्रमाण-पत्रों की जानकारी प्रवेश हेतु पंजीयन के लिए आवेदन पत्र में उल्लेख करना अनिवार्य है। सत्यापन के लिये पंजीयन आवेदन पत्र में उल्लेखित, संबंधित प्रमाणपत्र अनिवार्यता: अपलोड करने होंगे। गत्र में अधिक अधिभार प्राप्त होने पर केवल सर्वोपिच अधिभार का लाभ एक ही वर्ग में देय होगा।

संबन्धित विधा में महाविद्यालय में कुल सीट संख्या के प्रतिशत 5 गैर खेलकूद में पर श्रेणी प्राप्त विद्यार्थियों के लिए आउटसाइट के आधार पर सुरक्षित होगी। (24 मई 2022 के आदेशानुसार)

कला-मस्कुलिन (डूबा इलाक़) / एन.सी.सी. एन.एम.एस. स्पोर्ट्स एंड रेडक्रॉस सोसायटी में शामिल एवं श्रेणी प्राप्त आवेदकों के लिए प्रत्येक महाविद्यालय में कुल मीट के अतिरिक्त 5-5 मीट आउटरराइट के आधार पर आवेदित करने के लिए सुरक्षित होंगी।

राज्य/गणभाग/जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं के आवेदकों के लिए बी, सी और डी में अधिभार के आधार पर, गुणानुक्रम अनुसार प्रवेश दिया जायेगा। आउटरराइट के आवेदकों की संख्या अधिक होने पर मूल मीटों में वृद्धि की जायेगी।

25.1 खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए

श्रेणी I विशेष प्रोत्साहन आउटरराइट (Outright)

<p>1. अंतर्राष्ट्रीय स्तर/वर्ल्डकप / कॉमनवेल्थ गेम्स/एशियन गेम्स/एशियन पैरालिम्पिक्स / साइथ एशियन गेम्स/एशियाई खेल/एशियाई खेल गेम्स में भाग लेने वाले खिलाड़ी</p>	<p>अहंता पूर्ण होने पर पायला अनुसार बिना किसी गुणानुक्रम के मीट निर्धारण के साथ आउटरराइट प्रवेश प्रदान किया जायेगा</p>
<p>2. एन.सी.एस.आई. द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता एवं भारत सरकार से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित अधिकृत भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा 2 वर्ष में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता जूनियर प्रतियोगिता/राष्ट्रीय खेल/फेडरेशन कप/सीनियर नेशनल एंड जूनियर नेशनल/नेशनल स्कूल गेम्स/अंडर 17/19/खेलों की दिनांक 17/21/अथवा जूनियर नेशनल गेम्स जूनियर / जूनियर नेशनल प्रोत्साहन में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त / प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को।</p>	

श्रेणी -B (प्रतिशत अधिभार)

<p>मीट प्रतियोगिता / टट्टर जोन्स एवं मध्यप्रदेश राज्य खेल संघ द्वारा आयोजित अधिकृत राज्य स्तरीय/अन्तरराज्य/</p>	<p>अधिकृत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त खिलाड़ी को</p>	<p>15 प्रतिशत अधिभार</p>
<p>अन्तर जिला/सीडीएस/सीडीएस/आरपीएस/सीडीएस/सीडीएस/सीडीएस/ विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता के अंतर्गत</p>	<p>प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को</p>	<p>10 प्रतिशत अधिभार</p>

श्रेणी - C (प्रतिशत अधिभार)

लोक शिक्षण संस्थाननामक अथवा मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला / संमान स्तर जिले की प्रतियोगिता सीबीएससी कलेक्टर/केबीएम/एनबीएस, ई.म.डी/विद्या नगरी/मुद्रणी कप/स्कूल स्तरीय (जिला स्तरीय एनोडल/अनोडल/एनोडल आ. पब्लिकेशन / विद्या लक्ष्म बोर्ड स प्रमाणित के अंतर्गत	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त खिलाड़ी को	10 प्रतिशत अधिभार
	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	05 प्रतिशत अधिभार

25.2 कला - संस्कृति (सुवा उत्सव आदि) की प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए श्रेणी।
विशेष प्रोत्साहन आउटराइट (Outright)

अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर गतिविधियां प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान एवं प्रतिभागिता पर राष्ट्रीय सुवा उत्सव में सहभागिता पर	गतिविधियां- • नृत्य (भारतीय शास्त्रीय/ लोक), गायन (हिन्दुस्तानी / पश्चात्य) • शास्त्रीय/सुगम/लोक/पश्चात्य सुगम) चित्र • मनमानक चित्रण (हिन्दी एवं अंग्रेजी) • शिल्पकला सीरिया (फोटोग्राफी/एनीमेशन / फिल्म मेकिंग) • संगीत वादन (हिन्दुस्तानी / पश्चात्य) • फाइन आर्ट्स (स्केचिंग / पेंटिंग/स्वल्पचित्र) • सिनेटर • वाद्यविवाद (हिन्दी एवं अंग्रेजी) • चित्रण संबंधी गतिविधियां	अहंता पूर्ण होने पर पात्रता अनुसार बिना किसी सुषानुक्रम के सीट निर्धारण के साथ आउटराइट प्रवेश प्रदान किया जायेगा
---	---	--

श्रेणी - B, C एवं D (प्रतिशत अधिभार)

(कुल्य सारणीय शारीरिक / लौकिक गतिमान हिन्दुस्तानी / पाश्चात्य शारीरिक / एनएम लोक पाश्चात्य मुगम) विज्ञान रचनात्मक लेखन (हिन्दी एवं अंग्रेजी) डिजिटल पीरिया (फोटोग्राफी/एनीमेशन/ ग्राफिक्स मेथिग) गतिमान वाहन (इलेक्ट्रॉनिक्स / पाश्चात्य/प्रवाहन वाहन / प्रमाणन / वाहन / वाहन/वाहन) अतिरिक्त/विशेषकर द्विवेद (वादविवाद हिन्दी एवं अंग्रेजी)	राज्य स्तर पर प्रथम / द्वितीय / तृतीय स्थान एवं प्रतिभागिता पर	15 प्रतिशत अधिभार
	संघीय स्तर पर प्रथम / द्वितीय / तृतीय स्थान प्राप्त होने पर अधिभार हेतु पात्रता होगी परन्तु प्रतिभागिता सम्मिलित नहीं होगी	10 प्रतिशत अधिभार
	जिला स्तर पर प्रथम / द्वितीय / तृतीय स्थान प्राप्त होने पर अधिभार हेतु पात्रता होगी परन्तु प्रतिभागिता सम्मिलित नहीं होगी	05 प्रतिशत अधिभार

25.3 एन.सी.सी./एन.एम.एस./स्काउट्स (स्काउट/गाइड्स/रेजिस्) एवं रेडक्रास सोसायटी में भाग लेने वाले विद्यार्थियों हेतु -

श्रेणी I विशेष प्रोत्साहन आउटराइट (Outright)

1	महं दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में मध्यप्रदेश के एन.सी.सी./एन.एम.एस. कॉन्टिनेन्ट में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	अर्हता पूर्ण होने पर पात्रता अनुसार जिला किमी गुणानुक्रम के सीट निर्धारण के साथ आउटराइट प्रवेश प्रदान किया जायेगा
2	राष्ट्रपति स्काउड	
3	मध्यप्रदेश का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैडेट	
4	अन्य भाग प्रतिस्पर्धा केवाले एन.सी.सी. कैडेट	
5	राज्य के साथ अन्य राज्यों के मध्य सूब एक्साचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैडेट	
6	एन.सी.सी./एन.एम.एस. के तहत चयनित एवं प्रथम वर्गने वाले कैडेट को अंतर्राष्ट्रीय जम्हूरी के विश्व चयनित होने वाले विद्यार्थियों को	

श्रेणी B- (प्रतिशत अधिभार)

1	एन.सी.सी./एन.एम.एस. 'बी' सर्किट/क्रेडिट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउड	10 प्रतिशत
2	राज्य स्तरीय (संघीय/संघीय) एन.सी.सी. प्रतिभागिता	
3	राज्यपाल स्काउड	

श्रेणी C - (प्रतिशत अधिभार)

1. एन सी ई आर, एन सी ई आर, 'ए' स्तरिफिकेट	7 प्रतिशत
2. एन सी ई आर, एन सी ई आर, 'बी' स्तरिफिकेट या द्वितीय शीपमंत उत्तीर्ण स्नातकोत्तर	

श्रेणी ब- (प्रतिशत अधिभार)

1. भारतीय सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित उन्नत गतिविधियों के लिये	5 प्रतिशत
2. एन सी ई आर, एन सी ई आर, द्वारा प्रमाणित उन्नत गतिविधियों के लिये	

25.4

भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य कृषि अथवा साइन्स एण्ड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के अन्तर्गत विज्ञान / सांख्यिक/यांत्रिक / कक्षा क्षेत्र में चर्चित और प्रयास करने वाले उच्च के सदस्यों को	10 प्रतिशत
--	------------

25.5

अभ्युत्थान के दिग्दर्शकों और उनके अधिभारों को	1 प्रतिशत
---	-----------

25.6

स्थानीय विद्यार्थियों को प्रदेश में प्राथमिकता (स्थानीयता का निर्धारण प्रवेश के लिए)	5 प्रतिशत
--	-----------

25.7 विद्यार्थी न्यूनतम संयोजित शैक्षणिक योग्यता निचले के स्तर/महाविद्यालय से उत्तीर्ण होने के आधार पर ही प्राप्ती।

भ्यतिकरण - कठिना 25 के प्रावधान NCTE पाठ्यक्रमों के प्रवेश पर लागू नहीं होंगे। NCTE पाठ्यक्रमों में अधिभार NCTE के दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।

26. प्रवेश संबंधी विशेष प्रावधान :-**26.1 प्रवेश पश्चात् प्राचार्य के अधिकार :-**

26.1.1 ज्ञानी प्रमाण पत्रों के आधार पर या मूल्य जानकारी देकर, आगवृत्त अथवा शिक्षार्थी संघे प्रतिकूल तथ्यों या प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश किसी आवेदक को यदि प्रवेश मिल जाता है, तब नजान में आने पर उसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा।

26.1.2 प्रावधिक प्रवेश के मामले में प्राचार्य वृथक सूची तैयार करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यार्थियों के वे सभी पूर्णियों पूरी कर ली हैं, जिनके अभाव में उन्हें न्यूनतम प्रावधिक प्रवेश दिया गया था।

26.1.3 अनिश्चित प्रवेश करने या आरंभित किया समुचित कारण अथवा बिना पूर्व अनुमति या पूर्व सूचना के लगातार पंद्रह दिवस तक कक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा। प्रवेश निरस्त करने से पूर्व संस्था द्वारा विद्यार्थी/अभिभावक को अनुपस्थिति की सूचना प्रदान करते हुए कारण जानना होगा। तदोपरान्त ही समुचित कारण होने पर प्राचार्य द्वारा प्रवेश निरस्त करने पूर्व कार्यवाही की जाएगी। प्राचार्य द्वारा प्रवेश निरस्त करने की सूचना प्रतिस्पर्द्धाक में विद्यार्थी को अनिवार्य रूप में भेजी होगी।

26.1.4 प्रवेश के बाद मंच क संस्था कडिका 24.2 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरण में निम विद्यार्थियों को प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे संस्था से निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य का होगा।

26.2 प्रवेश शुल्क वापसी की प्रक्रिया :-

शुल्क वापसी की प्रक्रिया हेतु मार्गदर्शिका के विन्दु क्रमांक 07 एवं कण्डिका 7.1 का नियमानुसार प्राप्ति सुनिश्चित किया जावेगा।

26.2.1 प्राथमिक प्रवेश पत्रान्त अन्तीम घोषित होने की स्थिति में विद्यार्थी को प्रवेश प्रक्रिया शुल्क रूप में 100% वापस लेना जमा प्रवेश शुल्क (पॉलन मनी नहीं) वापस किया जाएगा।

26.2.2 प्रवेश पत्रान्त शैक्षणिक मंच के दौरान विद्यार्थी के निष्कासन की स्थिति में विद्यार्थी को कौशल कमी के अनिश्चित अन्य कोई शुल्क वापस नहीं किया जावेगा।

26.2.3 प्रथम वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थी का तकनीकी / व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अल्प प्रवेश हो जाने पर तत्समवर्षी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर विद्यार्थी को यू.जी.सी. के नोटिफिकेशन अक्टूबर 2018 के तहत महाविद्यालय द्वारा राशि वापिस की जावेगी।

विषय - यू.जी.सी. द्वारा सुचित वैधानिक श्रेष्ठतमन काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम तकनीकी / व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत माने जायेगा।

26.3 हितग्राही योजना परिवर्तन :-

26.3.1 ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के पश्चात् उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार घोषित समय सीमा में वाचना अनुसार मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना / मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना / तारुणी लक्ष्मी योजना / मुख्यमंत्री क्विड-19 चाल कल्याण योजना में विद्यार्थी प्रवेशित महाविद्यालय में परिवर्तन कर सकेगा। योजना परिवर्तन करने पर नियमानुसार प्रवेश शुल्क असाधारणतः करना अनिवार्य होगा।

26.3.2 उक्त योजना में महाविद्यालय विधिवत सूचना प्रसारित कर, प्राप्त आवेदन अनुसार कार्यवाही करेगी। महाविद्यालय द्वारा किये गये परिवर्तन की जानकारी निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन मांड्यूल में भी दर्ज करनी होगी अन्यथा किये गये परिवर्तन मान्य नहीं होगी।

26.4 विषय / पाठ्यक्रम/संकाय परिवर्तन:-

ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के पश्चात् उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार घोषित समय सीमा में प्रवेशित महाविद्यालय में विद्यार्थियों हेतु वाचना अनुसार संबंधित संकाय / कक्षा/ विषय में स्थान रिक्त होने पर परिवर्तन संबंधी कार्यवाही की जा सकेगी। निर्धारित समय सीमा में विद्यार्थियों द्वारा महाविद्यालय स्तर पर प्रस्तुत आवेदनों पर वाचना/सुपानुक्रम का उल्लेखन न होने की शर्त पर विषय / पाठ्यक्रम/संकाय में परिवर्तन की कार्यवाही की जा सकेगी। संबंधित महाविद्यालय द्वारा ऑनलाइन मांड्यूल पर निर्धारित समय सीमा में जानकारी अद्यतन करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति

में परिवर्तन मान्य नहीं किया जाएगा। सामान्य / परम्परागत पाठ्यक्रमों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में स्थापना/प्रतिस्थापित नहीं होगी।

प्रवेशित विद्यार्थी हेतु महाविद्यालय स्थानांतरण प्रक्रिया:-

सत्र 2025-26 में स्नातक स्नातकोत्तर पर प्रवेशित विद्यार्थी यदि अपना महाविद्यालय परिवर्तन (स्थानांतरण) करना चाहते हैं ऐसे स्थिति में प्रवेशित विद्यार्थी परीक्षा वार्षिक सहित लिखित आवेदन प्रवेशित महाविद्यालय के प्राचार्य की महमति के साथ जिस महाविद्यालय में प्रवेश स्थानांतरित किया जाना है वो प्रस्तुत करना होगा। संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्य की महमति के आधार पर स्थान रिक्त होने की स्थिति में स्थानांतरण किया जा सकेगा। विद्यार्थी के स्थानांतरण आवेदन पर दोनों महाविद्यालय के प्राचार्य की महमति आवश्यक होगी। एक दिवस में एक ही पाठ्यक्रम में एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर रिक्त स्थान अनुसार मैरिट के आधार पर प्रवेश दिए जा सकेंगे। प्रवेश स्थानांतरण की दशा में पूर्व महाविद्यालय द्वारा विद्यार्थी से लिया गया सम्पूर्ण प्रवेश शुल्क 03 दिवस की समयवधि में स्थानांतरित महाविद्यालय को अतर्गित करना अनिवार्य होगा। विद्यार्थी के पूर्व प्रवेशित महाविद्यालय के प्राचार्यों को परीक्षा कारण होने पर ही अन्य महाविद्यालय में जाने के लिए महमति प्रदान किया जाना अनिवार्य होगा।

विशेष टीप: आवेदन का स्थानांतरण केवल इन्हीं महाविद्यालयों में संभव होगा जहां पूर्व महाविद्यालय में चयनित विषय संचालित हो रहे होंगे एवं रिक्त सीट संख्या के साथ नवीन स्थानांतरित होने वाले महाविद्यालय की मैरिट सूची अंतर्गत पात्रता बनती हो।

26.6 अकादमिक कैलेंडर का पालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से, ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के तत्पश्चात् चार सप्ताह आभासीय/अध्यामकीय/अन्यसंख्या महाविद्यालयों के प्राचार्य यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रवेशित विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन प्रवेश शुल्क समय सीमा में जमा किया गया है, साथ ही, यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक प्रवेशित विद्यार्थी ने केवल प्रवेश पोर्टल के माध्यम से ही प्रवेश शुल्क जमा किया है। किसी आवेदक ने प्रवेश पोर्टल के माध्यम से प्रवेश शुल्क जमा न करने हुए संबंधित महाविद्यालय के बैंक खाते में प्रवेश शुल्क जमा कर दिया है। ऐसी स्थिति में संबंधित महाविद्यालय को शुल्क जमा होने के तीन दिवस की अवधि में कायांलय आसून उच्च शिक्षा की अकादमिक शाखा को सूचित कर निराकरण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में प्रवेश मान्य नहीं किया जाएगा।

26.7 प्रवेशित विद्यार्थियों के तृतिपूर्ण डेरा में संशोधन प्रक्रिया :-

- (अ) ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के पश्चात् प्रवेशित विद्यार्थी को 30 दिवस की समय सीमा में मूल दस्तावेजों को किसी भी आभासीय महाविद्यालय में दिखाकर संशोधन की कार्यवाही पूर्ण करना होगा। आभासीय महाविद्यालय ऑनलाइन मांझुल के माध्यम से समस्त संशोधन की कार्यवाही कर सकेंगे।
- (ब) अध्यामकीय अनुदान प्राप्त एवं निजी आभासीय महाविद्यालय को प्रवेश पोर्टल से प्राप्त, ऑनलाइन प्रवेशित सूची में, यदि किसी प्रकार की त्रिसंगति दिखाई देती है तो प्राचार्य प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के 30 दिवस की समय-सीमा में आवेदक के मूल दस्तावेजों को किसी भी आभासीय महाविद्यालय में दिखाकर संशोधन की कार्यवाही पूर्ण कर सकेंगे। आभासीय महाविद्यालय ऑनलाइन मांझुल के माध्यम से समस्त संशोधन की कार्यवाही कर सकेंगे।

उच्च शिक्षा विभाग, मध्य

- 26.8 अनिन्दाउन प्रवेश प्रक्रिया में सम्बन्धित शासकीय/प्राथमिकीय महाविद्यालय अब पूर्ण रूप से परिचित हो चुके हैं। अतः सत्र 2026-27 के समय खासकर खासबोतार कक्षाओं में प्रवेश / प्रवेश नवीनीकरण का अधिकार 5.1.7 के अन्तर्गत परीक्षा एवं योग्यता के प्राप्ति होने वाली सम्पूर्ण राशि पत्रों की द्वारा उच्च शिक्षा विभाग को स्थानांतरित की जायेगी।
- 26.9 प्रवेश निरन्धीकरण उपरान्त विद्यार्थी को जिसे भी स्थानांतरण प्रमाणपत्र का अनिन्दाउन माँफ्यूस में प्रविष्टि करने संबंधी एक बार प्रवेश प्राप्त कर लेने के पश्चात् यदि आवेदन द्वारा महाविद्यालय में स्थानांतरण प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाता है तो इसकी जानकारी भी अनिन्दाउन उपलब्ध कराये गये माँफ्यूस में देना अनिवार्य होगा, जिसमें प्रवेशित आवेदकों की वस्तुस्थिति स्पष्ट रहे।
- 26.10 अशासकीय महाविद्यालयों की मान्यता समाय होने पर नियमित प्रवेशित विद्यार्थियों के लिये प्रावधान / व्यवस्था- ऐसे अशासकीय महाविद्यालयों जिसकी मान्यता अथवा उनके छात्रक / आनबोतार कक्षाओं के पाठ्यक्रमों की मान्यता शासन / विश्वविद्यालय द्वारा समाय कर दी गई है उनके विगत वर्षों में नियमित प्रवेशित विद्यार्थियों को अन्य महाविद्यालयों में उन्हीं पाठ्यक्रमों में अपने वर्ष/सेमेस्टर में प्रवेश हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।
- 26.11 NCTE पाठ्यक्रमों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एमएलपी 276/12 में पारित निर्णय अनुसार निर्धारित निम्नलिखित राष्ट्रीय अध्यापन शिक्षा परिषद में मान्यता एवं संबंधित विश्वविद्यालय से तयकरा प्राप्त महाविद्यालयों को ही कायमनिष्ठ में शामिल किया जाएगा। निजी भी तरह की अनिश्चितता भय जाने पर संबंधित महाविद्यालय के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही राज्य शासन द्वारा की जायेगी।
- 26.12 एन.सी.टी.ई. द्वारा जारी रेगुलेशन के किसी प्रावधान को यदि परिवर्तित किया जाता है तो तदनुसार उसे मार्गदर्शी सिद्धान्त में समावेश करने हुए संशोधित किया जायेगा।
- 26.13 एन.सी.टी.ई. पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को योजनाओं / छात्रवृत्ति आदि भी प्राप्ति मध्यप्रवेश शासन में नियमानुसार होगी।
- 26.14 मार्गदर्शिका में उल्लेखित सम्बन्धित एन.सी.टी.ई. पाठ्यक्रमों में लागू नहीं होगी। विद्यार्थियों को आक्षण, अधिभार, प्रवेश की पात्रता, आदि एन.सी.टी.ई.के नियमानुसार लागू होगी।
- 26.15 इन प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धान्तों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा को है। आयुक्त, उच्च शिक्षा को आवश्यकतानुसार मार्गदर्शी सिद्धान्तों में समय-समय पर परिष्कार / स्विकारण जारी करने / समय मार्गणी प्रोहित एवं परिवर्तन करने / प्रवेश पोर्टल संबंधी जानकारी देना / प्रवेश संबंधी निर्देश जारी करने का अधिकार प्रदान किया जाता है। विशिष्ट एवं सैद्धान्तिक प्रकरण में प्रसिद्ध निर्णय का सम्पूर्ण अधिकार राज्य शासन को होगा।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग

✓

प्रमाण पत्रों के प्रारूप

प्रारूप-3

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण-पत्र

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण-पत्र
 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण-पत्र
 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण-पत्र
 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण-पत्र

जाति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... पिता/पति का नाम..... जाति/जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति के नाम से विधान अनुच्छेद 341/342 के अर्धीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह..... जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अग्रक्रमिक..... पर अंकित है। अतः श्री/श्रीमती/कुमारी..... पिता/पति का नाम..... अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

दिनांक
(मौलिक)

प्रमाण-पत्र
 प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
 पदनाम :

टिप्पणी

- 1 अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य में संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 342 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य में संबंधित जनजाति।

यह प्रमाण-पत्र मध्यम अधिकारी द्वारा नियम जांच एवं जांच संकल्प के पश्चात् ही जारी किया जावे, न कि आवेदक के अनिश्चितता द्वारा दिए गये प्रमाण पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर।

उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.

प्रकार-2

मध्यप्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलियर को छोड़कर) श्रेणी के आवेदकों के लिए प्रमाण-पत्र

का पत्राचार, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

आवेदन क्रमांक..... दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/शुभमरी..... पिता/पति का नाम के नाम विधायी है जो..... जन्म के है जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में, मध्यप्रदेश शासन, जाति जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-8-5/अधीन/4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 23 4-97-गोबन, दिनांक 02 अप्रैल, 1997 तथा इन मदों में समय समय पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा अधिसूचित किया गया है जो कि सूची के क्रमांक..... पर अंकित है।

श्री (पिता का नाम) और/या उसका परिवार सामान्यतः मध्यप्रदेश के पिता में निवास करता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री (पिता का नाम) क्रीमीलियर (मध्यम वर्ग) अधिसूचना की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका अन्वेषण भारत सरकार, जाति एवं प्रतिष्ठान विभाग के परिपत्र क्र. 360/2/22/93 (एन.टी.टी.) दिनांक 08.09.2003 द्वारा जारी सूची के फालत-3 में तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-7-28/2009/आ.प्र., -1 दिनांक-2 सुबई, 2013 की कृपिका क्रमांक के कॉलम 3 (क) के अनुसार।

दिनांक

(मौखिक)

हस्ताक्षर

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम

यह प्रमाण-पत्र मुख्य अधिकारी द्वारा निश्चय और आत्म संतुष्टि के पश्चात् ही जारी किया जाये, न कि आवेदक के अधिसूचना द्वारा दिए गये कागज पत्र के आधार पर और न ही स्थायी निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर।

शिक्षा विभाग, म.उ.

प्राथम-3 (अ)

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र

वर्तमान एवं भूतपूर्व सैनिक/ मूल प्रतिरक्षा कर्मचारी/स्थायी रूप से विकलांग प्रतिरक्षा कर्मचारी

नदरम प्रमाणक.....

दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि धर्मस्थानी.....की कि
की (पद/पद/पद) में (प्रवेश का वर्ष)के पिता/माता हे एवं उक्त
शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्ति (प्राप्त/प्राप्त) (प्राप्त/प्राप्त) (प्राप्त/प्राप्त)
.....(प्रवेश का वर्ष) में प्रवेश के लिये आवश्यक है।

(अ) जिन्होंने धर्मस्थानी/बाधुस्थानी/नीमना में.....पद पर सर्विस
प्रमाणक.....के अधीन सेवा की है। सेवा के दौरान वे स्थायी रूप से विकलांग हो गए
हैं।

अथवा

(ब) जिन्होंने धर्मस्थानी / बाधुस्थानी / नीमना में.....पद पर सर्विस
प्रमाणक.....के अधीन सेवा की है। सेवा के दौरान उनकी मृत्यु वर्षमें हो
गयी है।

स्थान
दिनांक

जिन्हा सैनिक कन्दाण अधिकारी के
हस्ताक्षर

.....
(कायोनय मील)

उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.

प्रारूप-3 (न)

मध्यप्रदेश में / मध्यप्रदेश के बाहर अन्य राज्य में कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी

संस्था क्रमांक.....

दिनांक.....

एह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती श्री/श्रीमती/कुमारी (आवेदक का नाम) बिना/माना है एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आमंत्रित नाम) (पाठ्यक्रम का नाम) (प्रवेश का वर्ष) में प्रवेश के बिना आवेदक है।

(य) कि/जिन्होंने बनसेना / बागुसेना / नौसेना में चुकी है। परंतु सर्विस क्रमांक के अर्थात् सेवा की है। सेवा के दौरान वे स्थायी रूप से नियुक्त हो गए हैं।

अथवा

(य) जिन्होंने बनसेना / बागुसेना / नौसेना में चुकी है। परंतु सर्विस क्रमांक के अर्थात् सेवा की है। सेवा के दौरान उनकी मृत्यु वर्ष में हो चुकी है।

स्थान.....

दिनांक.....

शिक्षा मैजिस्ट्रेट कल्याण अधिकारी के
हस्ताक्षर

(कार्यालय में)

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र

संज्ञक क्रमांक.....

दिनांक.....


- (1) प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी/श्रीमती..... (आवेदक का नाम) श्री/श्रीमती..... (आवेदक के पिता/भाता का नाम) के/की वैध (Legitimate) पुत्र/पुत्री है। जो श्री/श्रीमती..... (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) के/की वैध (Legitimate) पुत्र/पुत्री है।
- (2) श्री/श्रीमती..... (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) का नाम मध्यप्रदेश के जिला..... (जिले का नाम) में सहायित (Maintained) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पंजी (.....) में क्रमांक..... पर पंजीकृत है।

स्थान.....
दिनांक.....

हस्ताक्षर
कलेक्टर
(कार्यालय की स्पष्ट मुहर)

प्रास्ताविक

**नए प्रमाणित आय का घोषणा पत्र
(मादे कामज पर)**



मैं..... जाति..... श्री..... आय..... वर्ष
घोषणा करना/करती हूँ कि:-

1. मैं वर्तमान में..... में निवासरत हूँ;
2. मेरे नाम में शायद..... में..... हेतु/हेतुओं/कृषि भूमि है, जिससे मुझे
राज्य..... शब्दों में..... की वार्षिक आय होती है।
3. मेरा व्यवसाय..... है, इसमें मुझे वार्षिक आय
राज्य..... शब्दों में..... है।
4. मुझे सम्पत्ति में मेरी वार्षिक आय रुपये..... शब्दों में..... है।
5. मेरे परिवार में शिक्षानुसार सदस्य हैं-
1..... 2..... 3..... 4..... 5.....
(परिवार में अश्वय गणित/विश्वविद्यालय/पूजा/पूर्वी/अश्विन माना जा गितर में है।)
6. मेरे परिवार के इस सम्पत्ति/सदस्यों की कुल वार्षिक आय रुपये..... शब्दों में..... है।
7. मैंने इन घोषणा पत्र के तहत कोई आय प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है। घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।
अथवा

8. मैंने इस घोषणा पत्र के पूर्व लगभग..... समय पूर्व एक आय प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र गणित
..... रुपये वार्षिक का प्राप्त किया/दिया था। मेरी आय अब परिवर्तित हो गई है। अतः परिवर्तित
आय गणित..... वार्षिक का आय घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।
(विविध क्रमांक 7 एवं 8 में जो लागू न हो, उसे काट दें।)

हस्ताक्षर

महोदय
मैं..... जाति..... श्री..... आय..... वर्ष
निजामी मत्यापन करता/करती हूँ कि घोषणा पत्र की फंडिका 1 से 8 तक में उल्लेखित जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं
विश्वास के आधार पर सत्य है। इसमें न कोई तथ्य छुपाया गया है और न ही असत्य तथ्य अंकित किया गया है। मुझे
यह ज्ञान है कि मेरे द्वारा अभाव या अभावक जानकारी देने पर मेरे विरुद्ध आपराधिक / दंडात्मक कार्यवाही की जा
सकती है। मैंने प्राप्त सम्पत्ति प्राप्त भी अभाव किया जावेगा।
महोदय एनएन विभाग..... वर्ष..... को स्वयं..... में किया
गया।

हस्ताक्षर

प्राकार-7

राज्य राज्य के अन्य विद्यार्थी वर्ग (श्रीवीसिवर को छोड़कर) वर्गी के आवेदकों हेतु प्रमाण-पत्र

(CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES (NCL) APPLYING FOR ADMISSION)

To be produced by the candidate, before the Superintendent of Examinations, District Division of Meerut Town

To be produced by the candidate, before the Superintendent of Examinations, District Division of Meerut Town, which is hereby issued as a Backward Class order

1. Resolution No. 1001/00093-BCC dated 10/09/93 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section 3 No. 185 dated 09/09/93
2. Resolution No. 1001/00104-BCC dated 10/09/93 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section 3 No. 185 dated 09/09/93
3. Resolution No. 1001/00105-BCC dated 20/09/93 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section 3 No. 88 dated 09/09/93
4. Resolution No. 1001/00094-BCC dated 09/09/93
5. Resolution No. 1001/00106-BCC dated 09/09/93 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section 3 No. 185 dated 09/09/93
6. Resolution No. 1201/00107-BCC dated 09/09/97
7. Resolution No. 1201/00108-BCC dated 11/09/97
8. Resolution No. 1201/00098-BCC dated 27/09/99
9. Resolution No. 1201/00109-BCC dated 09/09/99 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section 3 No. 2/99 dated 09/09/99
10. Resolution No. 1201/00110-BCC dated 09/09/99 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section No. 2/99 dated 09/09/99
11. Resolution No. 1201/00111-BCC dated 09/09/99 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section 3 No. 2/99 dated 09/09/99
12. Resolution No. 1201/00112-BCC dated 09/09/99
13. Resolution No. 1201/00113-BCC dated 09/09/99
14. Resolution No. 1201/00114-BCC dated 09/09/99
15. Resolution No. 1201/00115-BCC dated 09/09/99 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section 3 No. 2/99 dated 09/09/99

and/or the hereby ordinary resolve in the District Division of Meerut. This is also to certify that none does not belong to the Personhood class (Creamy layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to the Government of India, Department of Personnel & Training O.M. No. 5811/2/2003-Estt.(SC) dated 08/09/03 which is modified with O.M. No. J0003/2003 Estt. (Muz) dated 08/09/04 to the Government of India.

Chief Magistrate/Competent Authority

1. District Magistrate / District Jail Officer / District Jail Officer (in-charge) / District Jail Officer (in-charge) / District Jail Officer (in-charge)
2. District Magistrate / District Jail Officer / District Jail Officer (in-charge) / District Jail Officer (in-charge) / District Jail Officer (in-charge)
3. District Magistrate / District Jail Officer / District Jail Officer (in-charge) / District Jail Officer (in-charge) / District Jail Officer (in-charge)
4. District Magistrate / District Jail Officer / District Jail Officer (in-charge) / District Jail Officer (in-charge) / District Jail Officer (in-charge)

For the purpose of production of the records of the applicant should be filed on internet portal during March 31, 2014

सहायता केन्द्र

- समस्त शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश (समस्त अग्रणी महाविद्यालय, म.प्र. सहित) सामान्य पाठ्यक्रमों के सत्यापन हेतु सहायक केन्द्र (हेल्प सेंटर) होंगे।
- समस्त अग्रणी महाविद्यालय, मध्यप्रदेश बी.पी.एड. एवं एम.पी.एड. के सत्यापन हेतु सहायता केन्द्र (हेल्प सेंटर) होंगे।

Digitally signed by
Beeran Singh Bhalavi
Date: 24-04-2026
17:49:42

ऑनलाइन प्रवेश समय सारणी

स्नातक स्तर (UG)

प्रथम चरण सत्र 2026-27

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक
1	2	3
1	ऑनलाइन पंजीयन आवेदन	01-05-2026 से 15-05-2026
2	पंजीकृत आवेदनों के दस्तावेजों का सत्यापन	02-05-2026 से 16-05-2026
3	सीट आवंटन जारी करना	20-05-2026
4	आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क का भुगतान प्रारम्भ करना आवंटित महाविद्यालय में शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि प्रवेश शुल्क का भुगतान किए गए आवेदकों का ही प्रवेश मान्य होगा प्रवेश शुल्क का भुगतान न होने पर प्रवेश नहीं माना जाएगा।	20-05-2026 से 26-05-2026

ऑनलाइन प्रवेश समय सारणी

स्नातक स्तर (UG)

द्वितीय चरण सत्र 2026-27

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक
1	2	3
1	ऑनलाइन पंजीयन आवेदन	28-05-2026 से 03-06-2026
2	पंजीकृत आवेदनों के दस्तावेजों का सत्यापन	29-05-2026 से 04-06-2026
3	सीट आवंटन जारी करना	07-06-2026
4	आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क का भुगतान प्रारम्भ करना आवंटित महाविद्यालय में शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि प्रवेश शुल्क का भुगतान किए गए आवेदकों का ही प्रवेश मान्य होगा प्रवेश शुल्क का भुगतान न होने पर प्रवेश नहीं माना जाएगा।	07-06-2026 से 13-06-2026

ऑनलाइन प्रवेश समय सारणी
स्नातक स्तर (UG)
सी.एल.सी. प्रथम चरण सत्र 2026-27

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक
1	2	3
1	ऑनलाइन पंजीयन आवेदन	15-06-2026 से 20-06-2026
2	पंजीकृत आवेदनों के दस्तावेजों का गत्यापन	16-06-2026 से 21-06-2026
3	सीट आवंटन जारी करना	23-06-2026
4	आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क का भुगतान प्रारम्भ करना आवंटित महाविद्यालय में शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि प्रवेश शुल्क का भुगतान किए गए आवेदकों का ही प्रवेश मान्य होगा प्रवेश शुल्क का भुगतान न होने पर प्रवेश नहीं माना जाएगा।	23-06-2026 से 30-06-2026



ऑनलाइन प्रवेश समय सारणी
स्नातकोत्तर स्तर (PG)
प्रथम चरण सत्र 2026-27

क्र.मांक	कार्य का विवरण	दिनांक
1	2	3
1	ऑनलाइन पंजीयन आवेदन	02-05-2026 से 15-05-2026
2	पंजीकृत आवेदनों के दस्तावेजों का मत्यापन	04-05-2026 से 16-05-2026
3	सीट आवंटन जारी करना	21-05-2026
4	आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क का भुगतान प्रारम्भ करना आवंटित महाविद्यालय में शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि प्रवेश शुल्क का भुगतान किए गए आवेदकों का ही प्रवेश मान्य होगा प्रवेश शुल्क का भुगतान न होने पर प्रवेश नहीं माना जाएगा।	21-05-2026 से 26-05-2026

ऑनलाइन प्रवेश समय सारणी
स्नातकोत्तर स्तर (PG)
द्वितीय चरण सत्र 2026-27

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक
1	2	3
1	ऑनलाइन पंजीयन आवेदन	28-05-2026 से 03-06-2026
2	पंजीकृत आवेदनों के दस्तावेजों का मत्यापन	29-05-2026 से 04-06-2026
3	सीट आवंटन जारी करना	08-06-2026
4	आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क का भुगतान प्रारम्भ करना आवंटित महाविद्यालय में शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि प्रवेश शुल्क का भुगतान किए गए आवेदकों का ही प्रवेश मान्य होगा प्रवेश शुल्क का भुगतान न होने पर प्रवेश नहीं माना जाएगा।	08-06-2026 से 13-06-2026

ak

ऑनलाइन प्रवेश समय सारणी
स्नातकोत्तर स्तर (PG)
सी.एल.सी. प्रथम चरण सत्र 2026-27

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक
1	2	3
1	ऑनलाइन पंजीयन आवेदन	15-6-2026 से 19-06-2026
2	पंजीकृत आवेदनों के दस्तावेजों का मल्यापन	16-06-2026 से 20-06-2026
3	भीट आवंटन जारी करना	24-06-2026
4	आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क का भुगतान प्रारम्भ करना आवंटित महाविद्यालय में शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि प्रवेश शुल्क का भुगतान किए गए आवेदकों का ही प्रवेश मान्य होगा प्रवेश शुल्क का भुगतान न होने पर प्रवेश नहीं माना जाएगा।	24-06-2026 से 30-06-2026



बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड., एम.पी.एड., बी.एड.एम.एड. (एकीकृत तीन वर्षीय),
ITEP एवं बी.एल.एड. तथा बी.एड. (अंशकालीन तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम 2026-
27 में प्रवेश प्रक्रिया हेतु

समय सारणी प्रथम चरण

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक
1	2	3
1	ऑनलाइन पंजीयन / आवेदन	02-05-2026 से 14-05-2026
2	पंजीकृत आवेदनों के दस्तावेजों का सत्यापन	04-05-2026 से 15-05-2026
3	मेरिट सूची का प्रकाशन	18-05-2026
4	मीट आवंटन जारी करना	20-05-2026
5	आवंटित हेलप मेंटर पर मूल दस्तावेजों, टीसी माइग्रेसन के साथ भौतिक सत्यापन हेतु उपस्थित होकर लिंक इनिशिएट कराना	20-05-2026 से 25-05-2026
6	आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क का भुगतान प्रारम्भ करना आवंटित महाविद्यालय में शुल्क भुगतान भी अंतिम तिथि। प्रवेश शुल्क का भुगतान किए गए आवेदकों का ही प्रवेश मान्य होगा प्रवेश शुल्क का भुगतान न होने पर प्रवेश नहीं माना जाएगा)	20-05-2026 से 26-05-2026

बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड., एम.पी.एड., बी.एड.एम.एड. (एकीकृत तीन वर्षीय),
ITEP एवं बी.एल.एड. तथा बी.एड. (अंशकालीन तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम 2026-
27 में प्रवेश प्रक्रिया हेतु

समय सारणी द्वितीय चरण

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक
1	2	3
1	ऑनलाइन पंजीयन / आवेदन	28-05-2026 से 03-06-2026
2	पंजीकृत आवेदनों के दस्तावेजों का सत्यापन	29-05-2026 से 04-06-2026
3	मेरिट सूची का प्रकाश	07-06-2026
4	सीट आवंटन जारी करना	09-06-2026
5	आवंटित हेल्प गेटर पर मूल दस्तावेजों, टीसी माउण्टेशन के साथ भौतिक सत्यापन हेतु उपस्थित होकर लिंक इनिशिएट कराना	09-06-2026 से 12-06-2026
6	आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क का भुगतान प्रारम्भ करना आवंटित महाविद्यालय में शुल्क भुगतान भी अंतिम तिथि। प्रवेश शुल्क का भुगतान किए गए आवेदकों का ही प्रवेश मान्य होगा प्रवेश शुल्क का भुगतान न होने पर प्रवेश नहीं माना जाएगा)	09-06-2026 से 13-06-2026

an

बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड., एम.पी.एड., बी.एड.एम.एड. (एकीकृत तीन वर्षीय),
ITEP एवं बी.एल.एड. तथा बी.एड. (अंशकालीन तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम 2026-
27 में प्रवेश प्रक्रिया हेतु

समय सारणी तृतीय चरण

क्रमांक	कार्य का विवरण	दिनांक
1	2	3
1	ऑनलाइन पंजीयन / आवेदन	15-06-2026 से 19-06-2026
2	पंजीकृत आवेदनों के दस्तावेजों का मत्यापन	16-06-2026 से 20-06-2026
3	मेरिट सूची का प्रकाश	22-06-2026
4	सीट आवंटन जारी करना	25-06-2026
5	आवंटित हेल्प सेंटर पर मूल दस्तावेजों, टी.सी. माइग्रेशन के साथ भौतिक मत्यापन हेतु उपस्थित होकर बिक इतिशिष्ट करना	24-06-2026 से 29-06-2026
6	आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क का भुगतान प्रारम्भ करना आवंटित महाविद्यालय में शुल्क भुगतान भी अंतिम तिथि। प्रवेश शुल्क का भुगतान किए गए आवेदकों का ही प्रवेश मान्य होगा प्रवेश शुल्क का भुगतान न होने पर प्रवेश नहीं माना जाएगा)	25-06-2026 से 30-06-2026